



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)
2016 का प्रतिवेदन संख्या 1**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

2016 का प्रतिवेदन संख्या 1

_____ को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	(i)
	कार्यकारी सार	(iii)
	अध्याय 1: सेवा कर प्रशासन	1-28
1.1	संघ सरकार के संसाधन	1
1.2	अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	2
1.3	संगठनात्मक ढांचा	3
1.4	अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृत्तियां तथा संघटन	4
1.5	अप्रत्यक्ष कर-सापेक्ष अंशदान	4
1.6	सेवा कर की वृद्धि-प्रवृत्तियां तथा संघटन	5
1.7	प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर	6
1.8	कर आधार	7
1.9	सेवा कर में बजटीय मामले	8
1.10	वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत छोड़ा गया सेवा कर	9
1.11	व्यापार सरलीकरण	10
1.12	सेवा कर का बकाया	11
1.13	अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली	11
1.14	विवरणियों की संवीक्षा	13
1.15	अधिनिर्णय	16
1.16	अपील मामले	17
1.17	प्रतिदाय दावों का निपटान	21
1.18	संग्रहण की लागत	23
1.19	आन्तरिक लेखापरीक्षा	23
1.20	विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण	25

	विषय	पृष्ठ
1.21	मंत्रालय द्वारा डाटा का अप्रस्तुतीकरण और प्रस्तुत किए गए डाटा में विसंगतियां	26
1.22	लेखापरीक्षा प्रयास तथा सेवा कर लेखापरीक्षा उत्पाद- अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	27
1.23	सूचना के स्रोत तथा परामर्श की प्रक्रिया	27
1.24	प्रतिवेदन विहंगावलोकन	27
1.25	सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुवर्ती कार्रवाई	28
अध्याय II : कारण बताओं नोटिस जारी करना और अधिनिर्णयन की प्रक्रिया		29-50
2.1	प्रस्तावना	29
2.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	32
2.3	लेखापरीक्षा क्षेत्र और कवरेज	32
2.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	32
2.5	एससीएन जारी करना	33
2.6	अधिनिर्णयन की प्रक्रिया	41
2.7	मॉनीटरिंग की प्रभाविकता और आंतरिक नियंत्रण	45
2.8	निष्कर्ष	50
अध्याय III : नियमों तथा विनियमों का अननुपालन		51-57
3.1	प्रस्तावना	51
3.2	सेवा कर का भुगतान करना	51
3.3	सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति	56
अध्याय IV : आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता		59-77
4.1	प्रस्तावना	59
4.2	लेखापरीक्षा परिणाम	59

	विषय	पृष्ठ
4.3	कर आधार का विस्तारण	60
4.4	विवरणियों की अपर्याप्त समीक्षा	62
4.5	निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा	64
4.6	अन्य मामले	74
परिशिष्ट I		79
परिशिष्ट II		80
परिशिष्ट III		89
शब्दावली		94

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टान्त वे हैं जो 2014-15 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए तथा वे जो पूर्व वर्षों में देखने में आए परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके; 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्त भी जहां कहीं आवश्यक हुए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई हैं।

कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2014-15 (वि व 15) के दौरान सेवा कर संग्रहण ₹ 1,67,969 करोड़ था और वि व 15 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 30.75 प्रतिशत था। जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में वि व 14 की तुलना में वि व 15 में कमी आई है जबकि सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में इसमें वृद्धि हुई है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व में पिछले चार वर्षों से प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है। हालांकि वि व 15 में इसमें थोड़ी कमी आई है।

इस प्रतिवदेन में ₹ 386.35 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सेवा कर पर 166 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 373.58 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था (जनवरी 2016 तक) और ₹ 53.77 करोड़ की वसूली सूचित की थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

अध्याय I: सेवा कर प्रशासन

- बकाया की वसूली में सुधार करने के लिए विभाग द्वारा आरंभ किए गए उपायों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ है। वि व 15 में बकाया संग्रहण वि व 14 में 10.46 प्रतिशत की तुलना में 1.17 प्रतिशत तक तेजी से कम हो गया है।

(पैराग्राफ 1.12)

- समीक्षा तथा सुधार के लिए एसीईएस द्वारा चिन्हित 86 प्रतिशत से अधिक विवरणियां सुधार कार्यवाही के लिए लंबित थीं।

(पैराग्राफ 1.14.1)

- ₹ 77,463 करोड़ से अधिक के सेवा कर निहितार्थ वाले अधिनिर्णय मामले 31 मार्च 2015 को अन्तिमीकरण को लंबित थे।

(पैराग्राफ 1.15)

- अधिनिर्णय आदेश के प्रति विभाग की अपील का सफलता अनुपात वि व 13 में 33.47 प्रतिशत से घटकर वि व 15 में 26.44 प्रतिशत हो गया है।

(पैराग्राफ 1.16)

- 46 प्रतिशत से अधिक की श्रेणी 'क' सेवा कर निर्धारिती, जोकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग द्वारा अनिवार्य लेखापरीक्षा हेतु देय थे, वि व 15 के दौरान अलेखापरीक्षित रह गए।

(पैराग्राफ 1.19)

अध्याय II: कारण बताओं नोटिस जारी करना और अधिनिर्णय प्रक्रिया

- ₹ 3.34 करोड़ के राजस्व वाली आठ मांगों को कारण बताओं नोटिस (एससीएन) विलंब से जारी करने के कारण समय बाधित के रूप में अधिनिर्णयन में समाप्त किया गया था।

(पैराग्राफ 2.5.1)

- 36 मामलों में, एससीएन निर्धारित समय अवधि में जारी नहीं किया गया था और इनमें से 23 मामलों, जिनके ब्यौरे उपलब्ध थे, ₹ 22.17 करोड़ का राजस्व निहितार्थ शामिल हैं।

(पैराग्राफ 2.5.2)

- ₹ 21.08 करोड़ के राजस्व वाले 46 मामले दो वर्षों से अधिक समय से न्यानिर्णयन हेतु लंबित थे।

(पैराग्राफ 2.6.1)

अध्याय III: नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

- लेखापरीक्षा में ₹ 216.34 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सेवा कर की गैर अदायगी/कम अदायगी, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना/उपयोग और विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान न करना के उदाहरण देखे गए।

(पैराग्राफ 3.1)

अध्याय IV: आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियां, कारण बताओं नोटिस देरी से जारी करना आदि देखे गए जिनमें ₹ 170.01 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहितार्थ था।

(पैराग्राफ 4.2)

अध्याय I

सेवा कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के द्वारा एकत्रित सभी ऋण, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से राजस्व प्राप्तियों से बने हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि व) 15 एवं वि व 14 के संसाधनों का सार चित्रित करती हैं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

	(₹ करोड़ में)	
	वि व 15	वि व 14
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	16,66,717	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	6,95,792	6,38,596
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	5,49,343	5,00,400
iii. गैर कर प्राप्तियां	4,19,982	3,93,410
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,600	3,618
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां¹	37,740	29,368
ग. कर्जे तथा अग्रिमों ² की वसूली	26,547	24,549
घ. लोक ऋण प्राप्तियां ³	42,18,196	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	59,49,200	55,84,907

स्रोत: संबंधित वर्षों के संबंधित लेखे

नोट: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे अभ्यर्पित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल आय का भाग वि व 15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि व 14 में ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल है।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि व 14 में ₹ 55,84,907 करोड़ से वि व 15 में ₹ 59,49,200 करोड़ तक की वृद्धि हुई। वि व 15 में इसकी स्वयं की

¹ इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

² संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली

³ भारत सरकार द्वारा आंतरिक रूप के साथ-साथ बाह्य रूप से उधारियां

प्राप्तियां ₹ 16,66,717 करोड़ थी जिनमें ₹ 12,45,135 करोड़ की सकल कर प्राप्तियां शामिल हैं।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबंध हैं और इस अर्थ में व्यक्ति विशेष की अपेक्षा लेन-देन विशेष हैं। संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत प्रमुख अप्रत्यक्ष कर/शुल्क निम्न हैं:

क) सेवा कर: सेवा कर योग्य क्षेत्र के अन्दर दी गई सेवाओं पर सेवा कर उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी गई सेवाओं पर सेवा कर एक कर है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 बी परिकल्पना करती है कि ऋणात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अतिरिक्त एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कर योग्य क्षेत्र में दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत कर होगा और ऐसी रीति में संग्रहीत होगा जैसा निर्धारित⁴ किया जाए। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए की गई के महत्व (उनमें वर्जित मदों के अतिरिक्त) के किसी कार्यकलाप के अर्थ के लिए और घोषित सेवा⁵ शामिल करने के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65बी (44) में “सेवा” परिभाषित की गई है।

ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उद्ग्रहीत किया जाता है। मानव खपत हेतु मादक शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक दवा और मादक पदार्थों को छोड़कर परन्तु चिकित्सीय तथा अल्कोहल, अफीम आदि वाले प्रसाधन सम्पाकों सहित भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित तम्बाकू तथा अन्य माल पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत करने की संसद को शक्तियां हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

⁴ 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम 2012 द्वारा सम्मिलित धारा 66बी, धारा 66 डी में मदों की सूची है जो ऋणात्मक सूची से बनी है।

⁵ वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं की सूची देती है।

ग) सीमा शुल्क: भारत में माल के आयात और भारत से बाहर कुछ माल के निर्यात पर सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)

1.3 संगठनात्मक ढाँचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्डों नामतः, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा जांच की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यकारी कमिश्नरियों, द्वारा शासित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए देश को मुख्य कमिश्नर की अध्यक्षता में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों में बांटा गया है। सीबीईसी के क्षेत्रीय संरूपणों की पुनर्संरचना और पुनर्गठन अगस्त 2014 में किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों के अंतर्गत कमिश्नर की अध्यक्षता में 83 समन्वित कार्यकारी कमिश्नरियां, 36 विशिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी कमिश्नरियां और 22 विशिष्ट सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरियां हैं। डिवीजन और रेंज अगले संरचनाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमशः उप/सहायक कमिश्नर और अधीक्षक द्वारा की जाती है। इन कार्यकारी कमिश्नरियों के अलावा आठ बड़ी करदाता यूनिटें (एलटीयू) कमिश्नरियां 60 अपील कमिश्नरियां, 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियां और विशिष्ट कार्यों से संबंधित 20 महानिदेशालय/निदेशालय हैं।

31 मार्च 2015 को सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत स्टाफ संख्या 86,828 है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है।

इस अध्याय में वित्त लेखों, विभागीय लेखों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा का उपयोग करते हुए सेवा कर में प्रवृत्तियों, संघटन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृत्तियां तथा संघटन

तालिका 1.2 वि व 11 से वि व 15 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि चित्रित करती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की % के रूप में	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि व 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	43.54
वि व 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि व 13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि व 14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि व 15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87

स्रोत: संघ वित्त लेखें

यह देखने में आया है कि जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण वि व 14 की तुलना में वि व 15 में कम हो गया है, जबकि सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में यह बढ़ा है।

1.5 अप्रत्यक्ष कर – सापेक्ष अंशदान

तालिका 1.3 वि व 11 से वि व 15 तक की अवधि के लिए जीडीपी के अनुपात में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर संघटकों की समष्टि चित्रित करती है।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की प्रतिशतता


(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	एसटी राजस्व	जीडीपी के % के रूप में एसटी राजस्व	के.उ.शु राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु राजस्व	एसटी राजस्व	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
वि व 11	77,95,314	71,016	0.91	1,37,701	1.77	1,35,813	1.74
वि व 12	90,09,722	97,509	1.08	1,44,901	1.61	1,49,328	1.66
वि व 13	99,88,540	1,32,601	1.33	1,75,845	1.76	1,65,346	1.66
वि व 14	1,13,45,056	1,54,780	1.36	1,69,455	1.49	1,72,085	1.52
वि व 15	1,25,41,208	1,67,969	1.34	1,89,038	1.51	1,88,016	1.50

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों के अनुसार हैं।

अप्रत्यक्ष करों के मध्य, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व में पिछले चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी हुई है, हालांकि वि व 15 के दौरान इसमें थोड़ी कमी आई। उसी अवधि के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क राजस्व ने ने गिरावट का रुझान दर्शाया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने वि व 14 की तुलना में वि व 15 में थोड़ा सुधार दर्शाया।

मुख्य अप्रत्यक्ष करों के सापेक्ष राजस्व अंशदान को चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।



1.6 सेवा कर की वृद्धि- प्रवृत्तियां एवं संरचना

तालिका 1.4 वि व 11 से वि व 15 के दौरान सम्पूर्ण और जीडीपी के संबंध में सेवा कर की वृद्धि प्रवृत्तियों को चित्रित करती है।

तालिका 1.4: सेवा कर की वृद्धि

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	सेवा कर	(₹ करोड़ में)		
					जीडीपी के % रूप में सेवा कर	सकल कर राजस्व के % के रूप में सेवा कर	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सेवा कर
वि व 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	71,016	0.91	8.95	20.56
वि व 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	97,509	1.08	10.97	24.83
वि व 13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,32,601	1.33	12.79	27.93
वि व 14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,54,780	1.36	13.59	31.12
वि व 15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,67,969	1.34	13.49	30.75

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संबंधित वित्त लेखों के अनुसार है।

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व ने वि व 15 को छोड़कर अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई है। वि व 15 के दौरान समग्र सेवा कर का योगदान सकल कर राजस्व का 13.49 प्रतिशत है। सकल कर राजस्व और कुल अप्रत्यक्ष करों में सेवा कर हिस्सा तीव्रता से बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2014-15 में 10.6 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि 2013-14⁶ में यह 9.1 प्रतिशत पर थी। यह मुख्यतः वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं में 7.9 प्रतिशत से 13.7 प्रतिशत तक की वृद्धि के कारण है।

1.7 प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

तालिका 1.5 सेवाओं की शीर्ष पाँच श्रेणियों से संग्रहीत सेवा कर चित्रित करती है।

तालिका 1.5: प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर


वर्ष	(₹ करोड़ में)				
	वि व11	वि व12	वि व13	वि व14	वि व 15
दूर संचार	3,902	5,402	7,538	12,643	13,531
सामान्य बीमा प्रीमियम	3,877	5,234	6,321	8,834	9,263
श्रमबल भर्ती	2,870	3,847	4,432	7,335	9,045
कारबार सहायक सेवाएं	2,689	4,345	4,368	7,118	8,415
कार्य ठेका	3,092	4,179	4,455	7,434	8,139

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखें।

यह देखा गया कि सेवा कर संग्रहण के लिए दूर संचार तथा सामान्य बीमा प्रीमियम सेवाओं का शिखर पर होना जारी है। यह भी देखा गया कि श्रमबल भर्ती और कारबार सहायक सेवा शीर्ष राजस्व दायक सेवाओं के मध्य वि व 15 में तीसरे और चौथे स्थान पर आ गए थे।

पाई चार्ट 1.2 वि व. 15 के दौरान प्रमुख सेवाओं के समग्र अंशदान को चित्रित करता है।

⁶ आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 का पैरा 7.11



यह देखा गया कि पाँच शिखर श्रेणी सेवाओं ने सकल सेवा कर संग्रहण में 29 प्रतिशत योगदान किया।

1.8 कर आधार

"निर्धारिती" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सेवा कर भुगतान करने का दायी है और वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 65 (7) में परिभाषा के अनुसार उसके एजेंट को शामिल करता है। तालिका 1.6 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के अन्तर्गत सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का डाटा (वि व 11 से वि व 15 तक से संबंधित) चित्रित करती है।

तालिका 1.6: सेवा कर में कर आधार

वर्ष	कर योग्य सेवाओं की संख्या	एसटी पंजीकरणों की संख्या	पूर्व वर्ष से वृद्धि %	निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विवरणी दाखिल की	पंजीकरण करने वालों की % जिन्होंने विवरणी फाइल की
वि व 11	117	15,52,521		1,90,410	12.26
वि व 12	119	17,52,479	12.88	7,29,129	41.61
वि व 13	सभी*	19,82,297	13.11	8,54,831	43.12
वि व 14	सभी*	22,58,599	13.94	9,83,969	43.57
वि व 15	सभी*	25,11,728	11.21	10,50,760	41.83

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े। पैरा 1.21 में डाटा विसंगति पर टिप्पणी

*ऋणात्मक सूची के अतिरिक्त।

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

यह देखा गया कि पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ विवरणी फाइल करने वाले निर्धारितियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तथापि, विवरणी फाइल करने वाले पंजीकृत निर्धारितियों का प्रतिशत 41 से 43 प्रतिशत तक लगभग स्थिर बना रहा। मंत्रालय के उक्त के लिए कारणों का पता लगाने की आवश्यकता है।

स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना, 2013:

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट 2013 भाषण में बताया कि सेवा कर के अंतर्गत लगभग 17,00,000 पंजीकृत निर्धारितियों हैं और केवल लगभग 7,00,000 विवरणी फाइल करते हैं और कई ने ऐसे ही विवरणी फाइल करना बंद कर दिया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने उन पंजीकृत निर्धारितियों, जिन्होंने विवरणी फाइल करनी बंद कर दी, की विवरणी फाइल करने और कर देयताओं के भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना, 2013' (वीसीईएस) नामक एक बार की योजना शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखा। यह योजना 10 मई 2013 से प्रभावी हो गई और 31 दिसंबर, 2013 तक लागू थी। 66,072 निर्धारितियों द्वारा वीसीईएस के अंतर्गत ₹ 7,750.30 करोड़ की राशि घोषणा की गई। किंतु, जैसाकि तालिका 1.6 से देखा जा सकता है उन पंजीकृत निर्धारितियों की प्रतिशतता में कोई सुधार नहीं था जो विवरणी फाइल करते थे। इसके विपरीत, पंजीकरण करने वालों की प्रतिशतता, जो विवरणी फाइल करते हैं, वि व 13 और वि व 14 में क्रमशः 43.12 प्रतिशत से 43.57 प्रतिशत से वि व 15 में घटकर 41.83 हो गई।

1.9 सेवा कर में बजटीय मामलें

तालिका 1.7 सेवा कर प्राप्तियों के बजट प्राक्कलन और तदनुसारी वास्तविक आंकड़ों की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 1.7: बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अन्तर	वास्तविक तथा बीई के बीच % ता अन्तर	वास्तविक तथा आररईके बीच % ता अन्तर
वि व 11	68,000	69,400	71,016	3,016	4.44	2.33
वि व 12	82,000	95,000	97,509	15,509	18.91	2.64
वि व 13	1,24,000	1,32,697	1,32,601	8,601	6.94	(-)0.07
वि व 14	1,80,141	1,64,927	1,54,780	(-)25,361	(-)14.08	(-)6.15
वि व 15	2,15,973	1,68,132	1,67,969	(-)48,004	(-)22.23	(-)0.10

स्रोत: संघ वित्त लेखे तथा संबंधित वर्षों के प्राप्ति बजट दस्तावेज

यह पाया जाता है कि सेवा कर वास्तविक संग्रहण वि व 15 के दौरान 22.23 प्रतिशत तक बजट अनुमानों से कम रहा। यह भी देखा गया कि सेवा कर का वास्तविक संग्रहण पिछले वर्ष 6.15 प्रतिशत की तुलना में केवल 0.10 की कमी दर्ज करते हुए वि व 15 में संशोधित बजट अनुमान के लगभग बराबर था।

1.10 वित्त अधिनियम 1994 के अन्तर्गत छोड़ा गया सेवा कर

बजट दस्तावेजों के पठन से पता चला कि प्रत्यक्ष कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा-शुल्क के लिए छोड़े गए राजस्व के ब्यौरे 2006-07 के बजट से आरंभ कर संबंधित बजट के दौरान प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। तथापि सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व बजट दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 की सं. 6 के पैराग्राफ 1.12 में उल्लिखित समान मामले के उत्तर में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि पर्याप्त डाटा अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है।

इसी विषय की अपनी तीसरी रिपोर्ट में कर प्रशासन सुधार आयोग द्वारा जांच की गई थी और इसकी तीसरी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि सेवा कर के लिए विभाग को छोड़े गए राजस्व के प्राक्कलन के लिए उपायों पर विचार करना चाहिए और एक अंतर विश्लेषण करना चाहिए।

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

अक्टूबर 2011 से सेवा कर विवरणी के अनिवार्य ई फाइलिंग के परिणामतः विभाग सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व विवरण तैयार करने पर विचार करे।

1.11 व्यापार सरलीकरण

1.11.1 बड़ी करदाता इकाईयों (एलटीयू) का सृजन

व्यापार सुविधा के लिए विभाग ने एलटीयू का गठन किया है। एक एलटीयू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर तथा निगम कर से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल खिड़की निर्बाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने वाला राजस्व विभाग के अधीन स्वतः पूर्ण कर कार्यालय है। पात्र कर दाता जो एलटीयू में निर्धारण का विकल्प देते हैं, ऐसे एलटीयू में अपनी उत्पाद विवरणी, प्रत्यक्ष कर विवरणियां तथा सेवा कर विवरणी फाइल करने के पात्र होंगे और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उनके अन्तर्गत सभी इन करों को निर्धारित किए जाएंगे। ये यूनिटें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर/शुल्क भुगतान, दस्तावेजों तथा विवरणियों को फाइल करने, बट्टा/प्रतिदायों के दावे, विवादों का निपटान आदि से संबंधित सभी मामलों में कर दाताओं सहायता करने के लिए आधुनिक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित जनशक्ति से सज्जित किए जा रहे हैं। व्यापार सरलीकरण के लिए आठ एलटीयू स्थापित किए गए हैं।

1.11.2 केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर का स्वचलन

केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर (एसीईएस) का स्वचलन केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेंस पहल है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) में से एक है। यह एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में करदाता सेवाएं, पारदर्शिता, जबाबदेही तथा दक्षता सुधारना है। यह अनुप्रयोग वेब आधारित तथा वर्कफ्लो आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर में सभी प्रमुख कार्यविधियों को स्वचालित किया है।

1.12 सेवा कर का बकाया

उपचित परन्तु वसूल न किए गए राजस्व की वसूली की विभिन्न विधियों का कानून प्रावधान करती है। इसमें व्यक्ति जिससे राजस्व वसूली योग्य है, को देय राशियों, यदि कोई हो, के प्रति समायोजन करना, उत्पाद शुल्क योग्य माल की कुर्की तथा बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से वसूली शामिल होते हैं।

तालिका 1.8 बकाया राजस्व की वसूली के संबंध में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.8 बकाया वसूली – सेवा कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रहण	वर्ष के आरंभ में बकाया के % के रूप में संग्रहण
वि व 13	45,609	5,836	12.80
वि व 14	69,863	7,311	10.46
वि व 15	76,928	901	1.17

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े। पैरा 1.21 में डाटा त्रुटि पर टिप्पणी।

यह चिन्ता का विषय है कि वि व 15 के दौरान बकाया के अनुपात के रूप में संग्रहण वि व 14 में 10.46 प्रतिशत की तुलना में 1.17 प्रतिशत तक प्रबल रूप से कम हो गया है। यद्यपि, बकाया के संग्रहण के गिरावट अनुपात पर लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार संकेत किया गया है, सुधार के कोई संकेत नहीं है। विभाग के वसूली तंत्र की सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

1.13 अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली

उत्पाद शुल्क महानिदेशक (आसूचना) (डीजीसीईआई) के साथ-साथ उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरी सेवा कर के अपवंचन के मामलों को खोजने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिकाएं रखते हैं। जबकि अपने क्षेत्राधिकार में यूनिटों के बारे में अपने व्यापक डाटाबेस तथा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ कमिश्नरियाँ शुल्क अपवंचन के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति में हैं वहीं पर्याप्त राजस्व के अपवंचन के बारे में विशेष आसूचना संग्रहीत करने में डीजीसीईआई की विशेषता है। ऐसे संग्रहीत आसूचना कमिश्नरियों में बांटी

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

जाती है। अखिल भारतीय शाखाओं वाले मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जांच भी की जाती है।

तालिका 1.9 (क) गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.9(क): गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई
का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों	राशि	
वि व 13	835	5,131	880
वि व 14	1,191	8,032	1,489
वि व 15	806	5,703	1,420

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि सेवा कर मामलों की संख्या और डीजीसीईआई द्वारा खोजी गई राशियां वि व 14 की तुलना में वि व 15 के दौरान पर्याप्त रूप से घटी है। तालिका 1.9 (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कमिश्नरियों का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.9(ख): गत तीन वर्षों के दौरान कमिश्नरियों
का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	
वि व 13	5,875	7,827	2,819
वि व 14	8,024	6,810	3,614
वि व 15	5,648	4,138	3,132

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि कमिश्नरियों द्वारा खोजे गए मामलों की संख्या और राशि वि व 14 की तुलना में वि व 15 के दौरान लगातार घटी है।

सेवा कर में कर प्रशासन

1.14 विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वनिर्धारण की संकल्पना लागू की। स्वनिर्धारण लागू करने के साथ विभाग ने अन्य बातों के साथ विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से सशक्त अनुपालन सत्यापन तंत्र का प्रावधान भी परिकल्पित किया। स्वनिर्धारण काल में भी विभागीय अधिकारियों का कार्य निर्धारण अथवा निर्धारण की पुष्टि किया जाना जारी है क्योंकि ये वे हैं जो कर भुगतान⁷ की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक देयता रखते हैं। यह सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से किया जाता है जो आगे जोखिम प्राचलों के आधार पर चयन किए जाते हैं। सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियमपुस्तक 2009 परिकल्पना करती है कि संवीक्षा दो चरणों, अर्थात् विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा, जो एसीईएस अनुप्रयोग द्वारा की जानी है और निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मानवीय रूप से की जानी है, में की जानी है।

1.14.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी का समय से प्रस्तुतीकरण शुल्क का समय से भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की गणितीय यथार्थता और फाइल न करने वालों और फाइल करना बंद करने वालों⁸ की पहचान सुनिश्चित करना है।

तालिका 1.10 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा करने में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

⁷ सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2009 पैरा 1.2.1 क

⁸ सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

तालिका 1.10 सेवा कर विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

वर्ष	एसीईएस में दाखिल विवरणियों की सं.	आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों का %	आरएण्डसी के बाद मुक्त विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु लंबित विवरणियों की संख्या	सुधार लंबित चिन्हित विवरणियों का %
वि व 13	21,75,169	11,20,695	51.52	3,17,383	8,03,312	71.68
वि व 14	17,98,773	6,28,512	34.94	70,146	5,58,366	88.84
वि व 15	19,57,446	5,90,250	30.15	81,307	5,08,943	86.22

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े। पैरा 1.21 में डाटा त्रुटि पर टिप्पणी।

*आर एवं सी का अर्थ है समीक्षा एवं सुधार

एसीईएस द्वारा समीक्षा एवं सुधार (आरएण्डसी) हेतु चिन्हित विवरणियों की प्रतिशतता वि व 15 में 30.15 प्रतिशत तक प्रबल रूप से कम हो गई जो एक स्वस्थ संकेत है और एसीईएस की स्थिरीकरण दर्शाता है और इसे आगे ले जाने की आवश्यकता है।

यह भी देखा गया कि जहाँ पंजीकृत निर्धारितियों⁹ की संख्या बढ़ी है एसीईएस पर फाइल की गई विवरणियों की संख्या वि व 13 की तुलना में वि व 15 में घटी है। मंत्रालय इसके कारणों को देख सकता है।

वि व 13 की तुलना में आर एंड सी के लिए चिन्हित विवरणियों की संख्या और प्रतिशत में बहुत अधिक घटौती के बावजूद यह भी पाया जाता है कि आर एंड सी हेतु चिन्हित 86.22 प्रतिशत विवरणियां 31 अक्टूबर 2015 को लंबित थीं। ऑनलाइन प्राथमिक संवीक्षा लागू करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य विस्तृत मानवीय संवीक्षा हेतु जनशक्ति निर्मुक्त करना था जो तब रैंज/ग्रुप¹⁰ का मुख्य कार्य बन सकेगा, आर एंड सी पहचान के बाद सुधार हेतु लम्बन की उच्च संख्याए दर्शाती हैं कि वे प्राप्त किए जाने से काफी दूर हैं।

एसीईएस में विवरणियों के आरएण्डसी का समापन निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत बाद की विवरणियों की संवीक्षा के लिए पूर्व अपेक्षा है। विवरणियों की बड़ी संख्या संवीक्षा हेतु लंबित थीं जिसमें सेवा कर संग्रहण की सत्यता का जोखिम है।

⁹ तालिका 1.6 में डाटा

¹⁰ सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.ख

1.14.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में भेजी गई सूचना की वैधता स्थापित करना और मूल्यांकन, सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना, छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के बाद प्राप्त वर्गीकरण तथा कर की प्रयुक्त प्रभावी दर आदि¹¹ की सत्यता सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा कर दाताओं¹² द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में भेजी गई सूचना से विकसित जोखिम प्राचलों के आधार पर अभिज्ञात केवल कुछ चयनित विवरणियों को कवर करना है।

तालिका 1.11 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.11 सेवा कर विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत संवीक्षा की गई थी	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत संवीक्षा लंबित थी	लम्बन का समय वार विश्लेषण		
				छः माह से एक वर्ष के बीच	एक तथा दो वर्ष के बीच	2 वर्षों से अधिक
वि व 13	23,838	2,743	21,095	19,791	934	370
वि व 14	44,045	16,201	27,844	12,974	5,174	17,636
वि व 15	*					

स्रोत: *मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े विस्तृत संवीक्षा के विषय में नहीं है।

निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार विस्तृत संवीक्षा¹³ में केवल दो प्रतिशत विवरणियों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सम्पूर्ण वर्ष में संवीक्षा की जानेवाली विवरणियों की कुल संख्या किसी रेंज के संबंध में काफी कम होगी क्योंकि विस्तृत संवीक्षा के लिए चिन्हित मामलों की कुल संख्या 31 मार्च 2014 को सभी रेंजों (2,272) में केवल 44,045 थी।

यह चिन्ता का कारण है कि विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की बड़ी संख्या (27,844) 31 मार्च 2014 को लंबित थी क्योंकि गबन के मामलों के

¹¹ सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

¹² सीबीईसी परिपत्र 113/7/2009-एसटी दिनांक 23 अप्रैल 2009

¹³ सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के लिए नियम पुस्तक 2009 पैरा 4.2 क

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

अतिरिक्त निर्धारिती¹⁴ द्वारा विवरणी फाइल करने की तारीख से 18 माह के बाद किसी निर्धारिती को मांग नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है। यह अनिवार्य है कि विभाग लम्बे लम्बन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कदम उठाये, ताकि सरकार को प्राप्त राजस्व की पर्याप्त रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह आगे पाया गया था कि विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की विशाल संख्या दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित थी।

यह भी प्रतीत होता है कि मंत्रालय द्वारा भेजे गए लम्बन का काल वार विश्लेषण का डाटा वि व 14 के लिए सही नहीं है।

1.15 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से सम्बन्धित मामले निर्धारित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया अन्य बातों के साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों, अनन्तिम निर्धारण आदि से सम्बन्धित पहलुओं का सोच विचार विकसित कर सकती है। अधिनिर्णय अधिकारी के एक निर्णय को निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.12 सेवा कर अधिनिर्णय का कालवार विश्लेषण चित्रित करता है।

तालिका 1.12 विभागीय अधिकारियों के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को लम्बित मामलें		1 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या
	सं.	राशि	
वि व 13	22,690	64,599	4,478
वि व 14	19,925	31,790	4,383
वि व 15	33,122	77,463	12,668

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि ₹ 77,463 करोड़ से अधिक राजस्व निहितार्थ वाले निर्णय 31 मार्च 2015 को अन्तिमीकरण को लम्बित थे। इनमें से 12,668 मामलें एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे। जबकि वि व 14 की तुलना

¹⁴ 28 मई 2012 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2012 द्वारा 1 वर्ष के लिए स्थानापन्न वित्त अधिनियम की धारा 73 (1) में 18 महीने

में वि व 15 में लम्बित न्याय निर्णय मामलों की संख्या 66 प्रतिशत बढ़ी थी, इन मामलों में शामिल राशि 143 प्रतिशत तक बढ़ गई। वि व 14 की तुलना में एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले वि व 15 में लगभग तिगुने हो गए थे। 'एससीएन और अधिनिर्णय प्रक्रिया के मुद्दे' पर हमारे अवलोकन इस प्रतिवेदन के अध्याय ॥ में विस्तारपूर्वक दिए गए हैं।

1.16 अपील मामलें

निर्णायक प्राधिकरणों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकरणों, न्यायालयों आदि समेत कुछ अन्य प्राधिकरण हैं जहाँ विधि के मुद्दे, व्याख्याओं आदि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, विभाग भी बहुत सी घटनाओं में, बल पूर्वक वसूली उपायों की सहायता लेता है। महत्वपूर्ण अवधि के लिए बहुत बड़ी राशि भारत की समेकित निधि से बाहर रहती है। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर, हमने तालिका 1.14 (क) में विभिन्न फोरम पर मामलों के लम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

तालिका 1.3 (क): अपील का लम्बन (सीएक्स ओर एसटी)

वर्ष	फोरम	वर्ष के अंत पर लम्बित अपील					
		पार्टी की अपील का विवरण		विभागीय अपील का विवरण		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)
विव 13	सर्वोच्च न्यायालय	760	1,429	1,632	5,743	2,392	7,172
	उच्च न्यायालय	5,631	6,844	5,430	5,527	11,061	12,371
	सेसटैट	35,964	63,278	15,832	12,010	51,796	75,288
	व्यवस्थापन आयोग	70	103	3	0	73	103
	कमिश्नर (अपील)	23,233	7,103	2,965	558	26,198	7,661
	कुल	65,658	78,757	25,862	23,838	91,520	1,02,595
विव 14	सर्वोच्च न्यायालय	855	1,835	1,702	6,078	2,557	7,913
	उच्च न्यायालय	5,856	9,359	5,505	6,764	11,361	16,123
	सेसटैट	41,257	90,447	16,685	14,806	57,942	1,05,253
	व्यवस्थापन आयोग	109	230	4	1	113	231
	कमिश्नर (अपील)	23,783	7,054	3,225	669	27,008	7,723
	कुल	71,860	1,08,926	27,121	28,318	98,981	1,37,244
विव 15	सर्वोच्च न्यायालय	815	2,202	1,754	6,428	2,569	8,630
	उच्च न्यायालय	5,577	10,206	5,408	9,231	10,985	19,437
	सेसटैट	44,710	1,05,905	16,719	14,240	61,429	1,20,145
	व्यवस्थापन आयोग	155	349	2	1	157	350
	कमिश्नर (अपील)	25,617	6,272	3,676	655	29,293	6,927
	कुल	76,874	1,24,935	27,559	30,554	1,04,433	1,55,489

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें

तालिका दर्शाती है कि ₹ 1,55,489 करोड़ के राजस्व वाले मामले अपीलों में लम्बित थे। क्योंकि अपील के लम्बन तक राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है ₹ 1,55,489 करोड़ के अवरोध एक चिंता का विषय है।

विशेषकर वि व 15 के लिए सेवा कर के संबंध में अपील के लम्बन के संबंध में मंत्रालय ने डाटा प्रदान किया है। डाटा नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 1.13 (ख): अपील का लम्बन (एसटी)

वर्ष	फोरम	वर्ष के अंत पर लम्बित अपील					
		दल की अपील का विवरण		विभागीय अपील का विवरण		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)
वी व 15	सर्वोच्च न्यायालय	179	450	359	1,762	538	2,211
	उच्च न्यायालय	1,837	4,663	877	1,717	2,714	6,380
	सेसटैट	16,245	54,654	5,585	6,762	21,830	61,416
	व्यवस्थापन आयोग	73	214	0	0	73	214
	कमिश्नर (अपील)	15,112	3,373	1,925	357	17,037	3,730
	कुल	33,446	63,354	8,746	10,597	42,192	73,951

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

मंत्रालय ने वि व 13 से वि व 15 के लिए अपील मामलों के निपटान का विवरण प्रदान किया है। डाटा नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका सं. 1.13 (ग): वर्ष के दौरान निर्धारित मामलों का अलग-अलग विवरण

वर्ष	फोरम	अपील विभाग			सफल अपील का % (वि)	पार्टी की अपील			सफल अपील का % (पा.)
		विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरुद्ध निर्णय	वापिस गई		पार्टी के पक्ष में निर्धारित	पार्टी के विरुद्ध निर्धारित	वापिस गई	
वि व 13	सर्वोच्च न्यायालय	15	75	9	15.15	16	23	7	34.78
	उच्च न्यायालय	102	486	97	14.89	473	1,007	269	27.04
	सेसटैट	346	955	271	22.01	1,805	2,447	1,380	32.05
	कमिश्नर (अपील)	1,162	1,198	139	46.50	6,432	13,221	1,575	30.30
	कुल	1,625	2,714	516	33.47	8,726	16,698	3,231	30.45
	सर्वोच्च न्यायालय	21	82	5	19.44	14	33	3	28.00
वि व 14	उच्च न्यायालय	193	355	22	33.86	379	1,247	223	20.50
	सेसटैट	248	1,407	151	13.73	2,314	2,125	1,574	38.48
	कमिश्नर (अपील)	1,141	1,248	31	47.15	7,064	12,888	697	34.21
	कुल	1,603	3,092	209	32.69	9,771	16,293	2,497	34.21
	सर्वोच्च न्यायालय	24	149	16	12.70	16	52	29	16.49
वि व 15	उच्च न्यायालय	230	712	130	21.46	447	1,397	206	21.80
	सेसटैट	216	1,121	218	13.89	2,255	1,987	1,874	36.87
	कमिश्नर (अपील)	717	869	87	42.86	4,202	9,151	931	29.42
	कुल	1,187	2,851	451	26.44	6,920	12,587	3,040	30.69

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि अधिनिर्णय आदेश के विरुद्ध विभाग की अपील का सफलता अनुपात विव. 13 में 33.47 प्रतिशत से विव.15 में 26.44 तक घटा है।

विभागीय अपीलों का सफलता अनुपात 43 प्रतिशत के आस-पास है, जब कमिश्नर (अपील) द्वारा निर्धारित किया गया परन्तु विभागेत्तर उच्चतर

फोरमों में, वि व 2015 में इसका विस्तार 13 प्रतिशत से 20 प्रतिशत है। निर्धारितियों द्वारा फाईल की गई अपीलों की सफलता दर विभागेत्तर उच्चतर फोरमों में बेहतर है। कम सफलता दर के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है तथा सफलता दर को सुधारने के साथ-साथ अपीलों की विचाराधीनता को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे।

1.17 वापसी दावों का निपटान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी दावे तथा वापसी के अनुदान के लिए विधिक अधिकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 बी बी प्रावधान करती है कि वापसी के आवेदन की तिथि के तीन महीने के अन्दर वापसी राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि यह वापिस नहीं किया गया है।

तालिका 1.13 (क) विभाग द्वारा वापसी दावों के निपटान की स्थिति दर्शाती है। दर्शाई गई देर, वापसी आवेदन, सभी विवरणों के साथ, की प्राप्ति की तिथि से दावों के प्रक्रमण के लिए आवश्यक समय के रूप में है।

तालिका 1.14 (क) : सेवा कर में वापसी दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ओबी जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावों	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या				ब्याज भुगतान	
		निपटानों की कुल संख्या	3 महीनों के अन्दर तथा निपटानों का प्रतिशत	देरी के साथ निपटाए गए दावे		मामलों की संख्या	दिया गया ब्याज
				< 1 वर्ष	> 1 वर्ष		
वि व13	26,672	15,897	12,328 (77%)	1,880 (12%)	1,689 (11%)	1	0.12
वि व14	23,145	13,979	11,445 (81.87%)	1,494 (10.69%)	1,040 (7.44%)	0	0
वि व 15	*	13,381	*	*	*	14	5.58

स्रोत: मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े

*मंत्रालय ने वि व 15 के लिए डाटा प्रदान नहीं किया।

यह देखा गया है कि सेवा कर से संबंधित लगभग 80 प्रतिशत वापसी दावा निपटान 3 महीने¹⁵ की निर्धारित अवधि के अन्दर किया गया। इस तथ्य के

¹⁵ वित्त अधिनियम 1994 (के रूप में संशोधित) की धारा 83 द्वारा सेवा कर के लिए लागू किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 बीबी

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

बावजूद कि देरी से वापसी पर ब्याज का भुगतान विभाग पर एक उत्तर दायित्व है, विभाग अधिकांश मामलों में निर्धारितियों को ब्याज का भुगतान नहीं कर रही है। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देरी से वापसी पर ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधान सही में कार्यान्वित हो।

क्योंकि मंत्रालय ने प्राप्त मामलों तथा वि व 15 के दौरान मामलों के निपटान के गोलमाल का डाटा प्रस्तुत नहीं किया था, वह विश्लेषित नहीं किया जा सकता है।

तालिका 1.13(बी) पिछले तीन वर्षों के दौरान वापसी दावों के लम्बित होने का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.14(बी): 31 मार्च को सेवा कर प्रतिदाय मामलों का वर्षवार लम्बन
(₹ करोड़ में)

वर्ष	ओबी जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावें	31 मार्च को लम्बित वापसी दावों की कुल संख्या		लंबित वापसी दावे			
				1 वर्ष से कम के लिए		1 वर्ष से अधिक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि व 13	23,803	7,906	41,874	5,824	30,018	2,082	11,856
वि व 14	23,145	8,154	4,487	6,391	3,582	1,763	905
वि व 15	*	13,913	8,390	10,848	5,642	3,065	2,747

स्रोत: आंकड़े मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत। * मंत्रालय ने वि व 15 के लिए डाटा प्रदान नहीं किया।

यह देखा गया है कि जब कि मामलों की संख्या बढ़ रही है, शामिल राशि वि व13 की तुलना में काफी कम हो गया है, यद्यपि यह वि व14 की तुलना में बढ़ गई है।

हमारे बार-बार याद दिलाने के बावजूद वि व 15 के लिए मंत्रालय द्वारा पूर्ण डाटा प्रदान नहीं किया गया है।

1.18 संग्रहण की कीमत

तालिका 1.15 राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.15 :केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियां तथा संग्रहण की कीमत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सेवा कर से प्राप्तियां	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की कीमत	कुल प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में संग्रहण की कीमत
वि व 11	71,016	1,37,901	2,08,917	2,072	0.99
वि व 12	97,356	1,44,540	2,41,896	2,227	0.92
वि व 13	1,32,601	1,75,845	3,08,446	2,439	0.79
वि व 14	1,54,780	1,69,455	3,24,235	2,635	0.81
वि व 15	1,67,969	1,89,038	3,57,007	2,950	0.83

स्रोत: संबंधित वर्षों का केन्द्रीय वित्त लेखा

यह देखा गया है कि स्वचालन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के बावजूद संग्रहण की कीमत ने वि व 13 के बाद से एक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाना शुरू कर दिया।

1.19 आंतरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण केनेडियन आदर्श पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार विशिष्ट विशेषताएं हैं: जोखिम विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक चयन, पूर्व तैयारी पर बल, वैधानिक अभिलेखों के सम्मुख व्यवसायिक अभिलेखों की बारीकी से जांच तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की निगरानी।

लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में आरंभिक समीक्षा, प्रणालियों की सूचना एकत्रित एवं दस्तावेजीकरण करना, आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन, राजस्व तथा प्रवृत्तियों के लिए जोखिम विश्लेषण, लेखापरीक्षा योजना विकसित करना, लेखापरीक्षा निष्कर्ष की तैयारी, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/प्रभागीय सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा ढांचे के तीन भाग हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां लेखापरीक्षा के प्रशासन के उत्तर दायित्व का सहभाजन करती हैं। जबकि निदेशालय संग्रहण, संकल्प तथा लेखापरीक्षा परिणामों के विश्लेषण

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

तथा कर अनुपालन में सुधार तथा ग्राहक संतुष्टि के स्तरों को नापने के लिए सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि के लिए उत्तर दायी है, कमीशनरियों से लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा का उत्तर दायित्व गुणवत्ता में सुधार के लिए,सीबीईसी, लेखापरीक्षा नियम पुस्तक जोखिम प्रबंधन नियम पुस्तक तथा ईए 2000 तथा सीएएटीज में लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए नियम पुस्तकों जो लेखापरीक्षा को आयोजित करने के लिए प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन करती है के विकास के लिए एशियन विकास बैंक की सहायता ली। तालिका 1.16(क) लेखापरीक्षा दलो द्वारा वि व 15 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए बकाया सेवा कर इकाईयों को दर्शाती है।

तालिका 1.16 (क) : वि व 15 के दौरान आयोजित निर्धारितियों की लेखापरीक्षाएं

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए +सैनवैट)	आवधिकता	बकाया इकाईयों की संख्या	नियोजित इकाईयों की संख्या	लेखापरी क्षित ईकाईयों की संख्या	लेखापरी क्षा में कमी (%)	वि व14 ¹⁶ में लेखापरी क्षा में कमी (%)
सेवा कर भुगतान करने वाली इकाईयें > ₹ 3 करोड़ (वर्ग क)	वार्षिक	5,702	5,702	2,183	61.72	46.71
₹ 1 तथा 3 करोड़ के बीच सेवा कर भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग ख)	द्विवार्षिक	4,695	4,695	1,321	71.86	51.07
₹ 25 लाख और ₹ 1 करोड़ के बीच सेवा कर भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग ग)	पांच वर्षों में एक बार	6,710	6,710	1,340	80.03	49.19
सेवा कर भुगतान करने वाली इकाईयां < ₹ 25 लाख (वर्ग घ)	प्रत्येक वर्ष 2 %	14,088	14,088	2,860	79.70	49.20

स्रोत: आंकडे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ।

यह देखा गया है कि वि व 15 के दौरान केवल इकाईयों के सभी वर्गों में आयोजित सेवा कर लेखापरीक्षा में एक विशाल कमी थी, परन्तु कमी वि व 14 की तुलना में मजबूती से बढी।

¹⁶ 2015 की सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 4 (अप्रत्यक्ष कर -सेवा कर) की तालिका 1.15 (क) में अभिलेखित

विभाग द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा का परिणाम तालिका 1.16(ख) में सारणीबद्ध है।

तालिका 1.16 (ख): वर्ष के दौरान आपत्तिकृत तथा वसूली गई राशि
(₹ करोड़ में)

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए + सैनवैट)	पता लगाई गई कम उदग्रहण की राशि	कुल वसूली की राशि
वर्ग क	4,695	1,025
वर्ग ख	1,457	255
वर्ग ग	513	190
वर्ग घ	253	121
कुल	6,918	1,591

स्रोत: आंकड़े मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत

यह देखा गया है कि वर्ग 'क' इकाईयों में पता लगाई गई कम उदग्रहण तथा वसूली गई राशि गैर अधिदेशी इकाईयों से उल्लेखनीय ढंग से उच्चतर है। मंत्रालय को सभी वर्ग 'क' (अधिदेशी) इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1.20 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

कर दाताओं द्वारा सेवा कर के ऐच्छिक भुगतान के अतिरिक्त, विभिन्न तरीके हैं जिसके द्वारा विभाग देय परन्तु करदाताओं द्वारा भुगतान नहीं किए गए राजस्व का संग्रहण करता है। इन तरीकों में विवरणी की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन रोधी, अधिनिर्णय इत्यादि शामिल हैं।

विभागीय प्रयासों का परिणाम तालिका 1.17 में सारणीबद्ध है।

तालिका 1.17 : विभागीय प्रयासों से वसूला गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभागीय कार्रवाई	वि व 14 के दौरान वसूली	वि व 15 के दौरान वसूली
1	आंतरिक लेखापरीक्षा	1760.29	632.15
2	अपवंचन-रोधी	2865.53	2765.57
3	पुष्टिकृत मांगे	454.06	437.10
4	पूर्व जमा	213.42	352.94
5	विवरणी की संवीक्षा	188.66	139.04
6	चूककर्ता से वसूली	619.48	735.09
7	अनन्तिम निर्धारण	6.85	8.37
8	वीसीइएस	3301.73	2741.94
9	आईटीआर/टीडीएस	58.00	306.30
10	अन्य	65.68	196.38
	कुल	9533.70	8314.88

स्रोत: आंकड़े मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत

वि व 15 के दौरान कुल सेवा कर संग्रहण ₹ 1,67,969 करोड़ था जिसमें से विभागीय प्रयासों के कारण केवल ₹ 8314.88 करोड़ संग्रहित हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि तालिका 1.17 में आंतरिक लेखापरीक्षा तथा अपवंचन रोधी के अन्तर्गत दर्शाया गया राजस्व संग्रहण क्रमशः तालिका 1.16 तथा 1.9 में दर्शायी राशि के साथ मेल नहीं खाता है। वास्तव में, तालिका 1.17 में प्रतिबिंबित वसूली तालिका 1.16 तथा 1.9 में अभिलेखित हाजिर वसूलियों की तुलना में कहीं कम है। मंत्रालय को इस डाटा को जांचने की आवश्यकता है।

1.21 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डाटा में डाटा का अप्रस्तुतिकरण तथा असंगति

मंत्रालय वि व 15 के लिए वापसी मामलों के निपटान तथा विवरणी की विस्तृत संवीक्षा से संबंधित डाटा प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि नवम्बर 2014 से डाटा का प्रारूप तथा डाटा के निर्वाह का उत्तर दायित्व संशोधित हो गया था। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण डाटा के निर्वाह की निरन्तरता सीबीईसी में प्रबंधन परिवर्तन के दौरान सुनिश्चित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ने विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटरों जैसे विवरणी की संवीक्षा, वापसी बकाया वसूली, आंतरिक लेखापरीक्षा इत्यादि से संबंधित डाटा प्रदान किया था।

यद्यपि, पंजीकृत निर्धारितियां, विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा तथा बकाया वसूली¹⁷ के संबंध में हमने देखा कि प्रस्तुत डाटा, 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 4 के लिए प्रदान की गई सूचना के साथ मेल नहीं खाता सेवा कर के संबंध में डाटा निर्वाह की गुणवत्ता में सुधार की अविलंब आवश्यकता है।

1.22 लेखापरीक्षा प्रयास तथा सेवा कर लेखापरीक्षा उत्पाद अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अनुपालन लेखापरीक्षा का नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन प्रारूप 2014, जो लेखापरीक्षण मानक, दूसरा संस्करण, 2002 के व्यवसायिक लेखापरीक्षण मानकों को प्रयोग करता है, के अनुसार प्रबंधन किया जाता है।

1.23 सूचना के स्रोत तथा परामर्श की प्रक्रिया

संघ वित्त लेखा से डाटा, डीओआर, सीबीईसी, तथा उनकी क्षेत्र संरचनाओं में मूलभूत रिकार्ड/दस्तावेजों के साथ, सीबीईसी के एमआईएस तथा एमटीआरज अन्य पणधारी रिपोर्ट के साथ प्रयुक्त हुए थे। हमारे पास लेखापरीक्षा के महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्र कार्यालय हैं जिन्होंने वि व 15 में 781 इकाईयों (सीएक्स तथा एसटी) की लेखापरीक्षा का प्रबंधन किया था।

1.24 रिपोर्ट का विहंगावलोकन

वर्तमान रिपोर्ट में ₹ 386.35 करोड़ के वित्तीय अनुमान वाले 166 पैराग्राफ हैं। सामान्यतया निरीक्षण के तीन प्रकार होते थे: सेवा कर का गैर भुगतान , सेवा कर का कम भुगतान, सैनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ तथा उपयोग इत्यादि। विभाग/मंत्रालय ने परिशोधित कार्रवाई, जिसमें कारण बताओं नोटिस के जारी होने के रूप में 162 पैराग्राफ के मामले में ₹ 373.58 करोड़ की राशि मूल्य, कारण बताओं नोटिस का अधिनिर्णयन तथा ₹ 53.77 करोड़ की अभिलेखित वसूली शामिल है, पहले ही कर ली है।

¹⁷ तालिका 1.6, 1.8 तथा 1.10

1.25 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा रिपोर्टों का राजस्व प्रभाव/पूरा करने की कार्रवाई

पिछली पांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों में (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट शामिल) हमने ₹ 2129.15 करोड़ के वित्तीय अनुमान वाले 846 लेखापरीक्षा पैराग्राफों (तालिका 1.17) को शामिल किया था।

तालिका 1.17 : लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष		वि व11	वि व12	वि व13	वि व14	वि व 15	कुल	
शामिल पैराग्राफ	संख्या	199	152	151	178	166	846	
	राशि	204.74	500.23	265.75	772.08	386.35	2129.15	
स्वीकृत पैराग्राफ	मुद्रण पूर्व	संख्या	184	150	147	171	162	814
		राशि	185.69	498.65	262.29	477.22	373.58	1797.43
	मुद्रण के बाद	संख्या	11	1	4	--	--	16
		राशि	17.79	0.52	1.81	--	--	20.12
	कुल	संख्या	195	151	151	171	162	830
		राशि	203.48	499.17	264.1	477.22	373.58	1817.55
प्रभावित वसूली	मुद्रण पूर्व	संख्या	122	88	95	92	109	506
		राशि	78.76	84.58	65.28	130.29	53.77	412.68
	मुद्रण के बाद	संख्या	9	4	9	9	--	31
		राशि	2.24	0.85	2.07	33.80	--	38.96
	कुल	संख्या	131	92	104	101	109	537
		राशि	81	85.43	67.35	164.09	53.77	451.64

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह देखा गया है कि ₹ 1817.55 करोड़ के वित्तीय अनुमान वाले 830 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को मंत्रालय ने स्वीकृत किया था तथा ₹ 451.64 करोड़ वसूल किए थे।

अध्याय II

कारण बताओं नोटिस जारी करना तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया

2.1 प्रस्तावना

अधिनिर्णयन केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग के अधिकारियों का एक अर्द्धन्यायिक अधिकार है। अधिनिर्णयन के बाद यह एक उचित दंड आरोपण के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि लागू कानूनों/नियमों/विधियों इत्यादि के उल्लंघन के कारण कोई राजस्व हानि न हो। यद्यपि, अगर एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाता है या दंड, अपराध की प्रकृति द्वारा अनुबद्ध दंड से अधिक मिलता है, यह कर दाता तथा सरकार के मध्य विश्वास को दुर्बल कर देता है। यदि दूसरी ओर, कानून द्वारा प्रदत्त दंड से एक वास्तविक अपराधी बच निकलता है, यह सरकार तथा ईमानदार करदाता दोनों की क्षति के लिए अपराधों के कृत्यों को उत्साहित कर सकता है।

नहीं चुकाए कर, कम चुकाए गए या त्रुटि से वापसी की मांग, गलत वर्गीकरण, सैनवैट क्रेडिट से गलत तरीके से उठाया लाभ, जुर्माना लगाने इत्यादि से संबंधित स्थितियां हो सकती है। यह अनिवार्य है कि एक कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी किया जाए, यदि विभाग किसी कार्य को निर्धारिती के विरुद्ध हानि कारक कदम उठाने के बारे में सोचता है। एससीएन कथित रूप से कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का विवरण करेगा तथा नोटिस प्राप्त करने वाले से कारण बताने लिए पूछेगा कि अधिनियम/नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इस प्रकार, एक एससीएन, नोटिस प्राप्त करने वाले को उसके पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है।

उन मामलों में जहां सेवा कर नहीं चुकाया गया या कम चुकाया या त्रुटि से वापसी हुई, एक सामान्य मामले में (27 मई 2012 तक एक वर्ष के अन्दर) सुसंगत तिथि से अठारह महीनों के अन्दर तथा शुल्क के भुगतान से बचने या गलत वापसी पाने के इरादे के साथ, धोखेबाजी, मिलीभगत, तथ्यों को जान

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)


बूझ कर दबाना इत्यादि के मामले में, सुसंगत तिथि से पांच वर्षों के अन्दर एससीएन जारी करना होगा।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1994¹⁸ में यह प्रबंध किया गया है कि जहाँ ऐसा करना संभव हो, एससीएनज को निर्णय व्यक्ति पर नोटिस जारी करने की तिथि से सामान्य मामलों में छह महानों के अन्दर तथा अवधि बढ़ाए गए मामलों में एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

अधिनिर्णय की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के निरीक्षण सिद्धान्तों द्वारा आयोजित की जाएगी। नोटिस प्राप्त करने वाले को मामले के निर्णय से पहले एक व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) दी जाएगी। अधिनिर्णय की कार्रवाई की पूर्णता के बाद मूल में एक लिखित आदेश (ओआईओ) दिया जाएगा जो मामले के तथ्यों तथा अधिनिर्णय आदेश के औचित्य का विवरण देगा। इस प्रकार, तात्कालिक शुरुआत तथा अधिनिर्णय मामलो के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने का विचार है। अधिनिर्णय की प्रक्रिया नीचे चार्ट में दर्शाई गई है:

¹⁸ 6 अगस्त 2014 से प्रभावी

चार्ट 2.1 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 के अन्तर्गत एससीएन तथा अधिनिर्णय प्रक्रिया



2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना था:

- क) अधिनिर्णयन प्रक्रिया संबंधित समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों अधिसूचना, परिपत्रों/निर्देशों इत्यादि की सटीकता।
- ख) क्या मौजूदा कानूनी प्रावधानों की सटीकता के साथ अनुपालना की जा रही है;
- ग) क्या एक प्रभावी निगरानी और आन्तरिक नियंत्रक तंत्र मौजूद था।

2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कवरेज

इस लेखापरीक्षा में हमने 36 कमिश्नरियों के अंतर्गत 92 डिवीजनों के साथ और रेंजों को कवर किया।

इसके अतिरिक्त हमने अभी भी अंतिम रूप दिये जाने शेष 2580 अधिनिर्णित मामले, 5767 अधिनिर्णित मामले, जारी हेतु लंबित 394 ड्राफ्ट एससीएन, 1837 कॉल बुक मामले और अधिनिर्णय स्तर पर राजस्व के प्रति निर्णित 849 मामलों की जांच की। वि व 12 से वि व 14 की अवधि को कवर किया गया।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने ₹ 95.14 करोड़ के राजस्व सम्मिलित 964 मामलों में अनियमितताएं देखीं। मुख्य निष्कर्षों का सार नीचे इस प्रकार है :

- (i) ₹ 3.34 करोड़ के राजस्व सहित एससीएन के देर से जारी करने के कारण समय बाधित के रूप में अधिनिर्णयन में आठ मांगों का निष्कर्ष निकाला गया।
- (ii) 36 मामलों में निर्धारित समयावधि में एससीएन जारी नहीं किये गये थे, जिसमें से ₹ 22.17 करोड़ के राजस्व संबंधी निहितार्थ 23 मामले शामिल थे और शेष 23 मामलों में शामिल मूल्य की विवरणों के अभाव में गणना नहीं की जा सकी।
- (iii) ₹ 21.08 करोड़ राजस्व वाले 46 मामले दो वर्षों से अधिक से अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे।

- (iv) ₹ 22.35 करोड़ राजस्व वाले 52 मामले कॉल बुक में अनियमित रूप से रखे गये थे।

निष्कर्षों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.5 एससीएन को जारी करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) अन्य विषयों के साथ-साथ यह परिकल्पित करती है कि जहां सेवा कर अदा नहीं किया गया या कम अदा किया गया या गलती से वापस कर दिया गया है, वहां सामान्य मामले (27 मई 2012 तक एक वर्ष के अंदर) में प्रासंगिक तिथि से अठारह महीनों के अंदर और शुल्क भुगतान टालने के लिए या गलत प्रतिदाय प्राप्त करने की इच्छा के साथ धोखाधड़ी, सांठ-गांठ, जानबूझकर तथ्यों को छुपाने आदि के मामले में प्रासंगिक तिथि से पांच वर्षों के अंदर ही एससीएन दी जानी होती है।

स्वचालन के युग में, जहां समय सीमाओं को सुधारने पर ही ध्यान होता है, यह देखा जा सकता है कि सामान्य मामले में एससीएन को जारी करने के लिए समय सीमा 28 मई 2012 के बाद एक वर्ष से अठारह महीनों तक बढ़ाई गई थी। परंतु अभी भी यह देखा गया कि सामान्य मामलों में भी एससीएन जारी करने के लिए यह बढ़ाई गई अवधि की मांग की गई थी। विधि में विनिर्दिष्ट समय सीमाएं एससीएन हेतु बाह्य सीमाएं निर्धारित करती हैं। परंतु नीचे दी गई चर्चा की गई आपत्तियों से यह देखा जा सकता कि, इस कार्य को न्यूनतम संभव समय में पूरा करने के स्थान पर, बढ़ाई गई अवधि का खंड पूर्व चर्चित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कुछ मामलों में याचना मांगा गया था।

2.5.1 एससीएन को जारी करने के लिए बढ़ाई गई समयावधि का आवाहन

चार कमिश्नरियों¹⁹ में आठ मामलों में हमने यह पाया ही एससीएन जिसे बढ़ाई गई अवधि का आवाहन करते हुए जारी किये गये थे, जैसा कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया था, वह विधि के प्रावधानों के

¹⁹ गुवाहाटी, कोलकाता एसटी, चंडीगढ़ और उदयपुर

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

अनुसार उपयुक्त नहीं थी। इस प्रकार, विभाग द्वारा समय पर एससीएन जारी करने की विफलता के कारण ₹ 3.34 करोड़ की राजस्व हानि हुई। सभी मामलों में (नवंबर 2015) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया। एक मामला नीचे दर्शाया गया है :-

2.5.1.1 चंडीगढ़-1 कमिश्नरी में, ₹ 2.86 करोड़ धन मूल्य वाले दो एससीएन 5 वर्षों की बढ़ाई गई अवधि के प्रावधान की मांग कर लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस को जारी (अक्टूबर 2010 और अप्रैल 2011) जारी किया गया था यद्यपि, समय बाधित के रूप में अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेते हुए मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। इस कारण ₹ 2.86 करोड़ की राजस्व हानि हुई। आदेश के प्रति विभाग द्वारा कोई अपील नहीं की गई।

जब हमने इसे इंगित (मई 2014) किया, मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार (नवंबर 2015) किया और कहा कि विभाग ने सेसटैट में आदेश के प्रति अपील फाइल की।

2.5.2 कारण बताओ नोटिस जारी करना

नौ कमिश्नरियों²⁰ में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 36 एससीएन में निर्धारित समयावधि में जारी नहीं की गई थी। इनमें से, 23 मामले जिसके लिए विवरण उपलब्ध थे, ₹ 22.17 करोड़ के राजस्व अनुमान शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप ये एससीएन समय बाधित भी हो सकते हैं। मंत्रालय ने 18 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (नवंबर 2015) और 18 मामलों में कहा कि रिपोर्ट भेजी जाएगी। कुछ मामलों में मंत्रालय ने आंतरिक लेखापरीक्षा दलों या निर्धारितियों से आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता से होने वाले विलंब को कारण बताया, जिसके कारण मांग को जारी नहीं किया जा सका। उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता था चूंकि दस्तावेजों को प्राप्त होने के विलंब को कम किया जाना चाहिए था और इसके अतिरिक्त समय-सीमा से बचने के लिए कुछ यथार्थ आधार वाले किसी अपवाद मामले में, विभाग के पास अधिनिर्णय से पहले मांग की मात्रा के बिना एससीएन जारी

²⁰ गुवाहाटी, शिलोंग, दुर्गापुर, कोलकाता एसटी, कोलकाता एसटी-ii, जयपुर-ii, इंदौर, कोयंबटूर और मुंबई एसटी-iv

करने, और मात्रा निर्धारित करने तथा सूचित करने के लिए विकल्प होता है। नीचे तीन निर्देशों मामले इस प्रकार है।

2.5.2.1 दिनांक 13 अक्टूबर 2010 के विशेष सचिव और सदस्य के पत्र के अनुसार, जहां कमिश्नरी द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है, वहां तुरंत तथा किसी भी हाल में 30 दिनों के बाद एससीएन जारी किया जाना चाहिए।

कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में, वोडाफोन इस्सार ईस्ट लिमि. पर ₹ 73.44 लाख के ब्याज सहित ₹ 16.75 करोड़ की राशि वाला सेरा आपत्ति, जिसे मई 2010 में जारी किया गया था, को जुलाई 2011 में स्वीकृत किया गया। परंतु अगस्त 2013 अर्थात् काफी समयावधि प्राप्त करने के बाद उपरोक्त आपत्ति को स्वीकार करने की तिथि से काफी बाद में एससीएन जारी की गई थी यद्यपि, चूंकि मामला सेरा आपत्ति के आधार पर विभाग की नजर में आ चुका था, ऐसी बढ़ाई गई अवधियाँ समय सीमा बाधित द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। अतः विभाग द्वारा उपरोक्त को देखते हुए मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए 30 दिनों के अंदर एससीएन जारी कर देने चाहिए थे।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि एससीएन आगे की जांच और आगे किसी राशि की मात्रा जानने के कारण विलंबित हुए।

2.5.2.2 सेवा कर-1 कमिश्नरी, मुंबई में, आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर (सितंबर 2008 में की गई) जनवरी 2006 से मार्च 2007 की अवधि से संबंधित ₹ 2.05 करोड़ की मांग दर्शाते हुए जनवरी 2013 में इंडियन ऐयरलाइंस लिमि. को एससीएन जारी किया गया था। उक्त मांग एससीएन को जारी करने में विलंब के कारण समय सीमा द्वारा बाधित हो सकती है।

जब हमने इसे इंगित किया (सितंबर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि रिपोर्ट भेजी जाएगी।

2.5.2.3 मै. सेलवेल एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमि. कोलकाता में, सेवा कर कमिश्नरी ने बढी समयावधि का आवाहन करते हुए एडवरटाइजिंग सेवाओं के अंतर्गत सेवा कर की मांग करते हुए 1998-99 से 2000-01 की अवधि को कवर करते हुए अप्रैल 2006 में एससीएन जारी किया। इसी मामले पर, अक्टूबर 2004 और मार्च 2005 की अवधि को कवर करते हुए आवधिक एससीएन भी जारी किया गया था और विभाग द्वारा विरोध करते हुए कॉल बुक में भी हस्तांतरित किया गया। यद्यपि, विभाग ने ₹ 2.02 करोड़ के राजस्व सहित 2001-02 से सितंबर 2004 की अवधि हेतु मांग की। इस प्रकार, विभाग द्वारा समय पर एससीएन के जारी न किये जाने के परिणामस्वरूप मामला समय बाधित हो सकता है।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि कमिश्नरी की पुनः संरचना के कारण के फाईल उपलब्ध नहीं थी।

2.5.3 आंतरिक लेखापरीक्षा पैराओं को बंद करने से पूर्व जुर्माने का उद्ग्रहण

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (4ए) ब्याज एवं जुर्माने का प्रावधान करती है जहाँ किसी लेखापरीक्षा, जाँच या सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है के कोई सेवा कर अदा नहीं किया गया था कम अदा किया गया, परंतु लेन-देनों के वास्तविक और पूर्ण विवरण विनिर्दिष्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध है। यह धारा प्रावधान करती है कि सेवा कर के लिए प्रभारित कोई व्यक्ति, उस पर अधिसूचना जारी होने से पहले धारा 75 के अंतर्गत उस पर देय ब्याज के साथ-साथ पूर्ण या आंशिक सेवा कर और कर राशि के पच्चीस प्रतिशत के अधिकतम तक उस अवधि तक जब तक यह चूक होती रही, प्रत्येक महीने के लिए ऐसे कर के एक प्रतिशत के समान जुर्माना अदा कर सकता है और ऐसे भुगतान के बारे में लिखित में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को सूचित करेगा और सेवा कर की उक्त राशि के संबंध में कार्यवाही को भी पूर्ण समझा जाएगा।

हमने देखा कि पांच कमिश्नरी²¹ में 30 मामले धारा 73 (4ए) के अंतर्गत प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 3.14 करोड़ राशि के जुर्माने का उद्ग्रहण किये

²¹ बोलपुर, मुंबई, एसटी-1, मुंबई एलटीयू, औरंगाबाद और नोयडा

बिना बंद कर दिये। मंत्रालय ने 23 मामलों में तथ्य (नवंबर 2015) स्वीकार किये और कहा कि सात मामलों में रिपोर्ट का अनुसरण किया जाएगा। दो कमिश्नरियों के संबंध में देखे गये मामलों को नीचे इस प्रकार प्रकाश में लाया गया है:-

2.5.3.1 नोयडा कमिश्नरी में, 20 निर्धारितियों के संबंध में आपत्तियां निपटाई गई थी क्योंकि उन्होंने ब्याज सहित सेवा कर बकाया का भुगतान कर दिया था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (4ए) के अंतर्गत प्रावधान का उल्लंघन करते हुए ₹ 89.68 लाख की जुर्माना राशि का उद्ग्रहण किये बिना पैरा निपटा दिये गये थे।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि उस मामले पर उचित कार्रवाई की जा रही थी।

2.5.3.2 एसटी-1 मुंबई कमिश्नरी में, धारा 74 (4ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.75 करोड़ राशि चार निर्धारितियों²² के प्रति जुर्माना उद्ग्रहण के बिना ब्याज की वसूली हेतु मामलों/निर्देशों का बंद कर दिया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (सितंबर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही थी।

2.5.4 गलत प्रतिदाय

अन्य विषयों के साथ-साथ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) यह दर्शाती है कि जहां कोई सेवा कर की गलती से वापसी की गई है, वहां (28 मई 2012 से अठारह महीनों के अंदर) प्रासंगिक तिथि से एक वर्ष के अंदर एससीएन जारी कर दी जानी चाहिए। धारा 84 की उप-धारा 2 यह प्रावधान करती है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी निर्णय संप्रेषण या अधिनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश की तिथि से तीन महीनों की अवधि के अंदर समीक्षा आदेश पास कर सकता है।

कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में, यह देखा गया कि 50 मामलों में गलत प्रतिदाय संस्वीकृत (नवंबर 2010 से मई 2011) किये गये थे। इसके अतिरिक्त, संवीक्षा से पता चला के केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) कमिश्नर ने 50 मामलों

²² एटॉसऑरिजन इंडिया प्रा.लिमि. हिंदूस्तान डोर-ओलीवर लिमि. हयूंडई और एमएससी एजेंसी इंडिया

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

में इन प्रतिदाय आदेशों के प्रति फाईल की गई अपीलों के निर्णय समय बाधित (नवंबर 2011 और जनवरी 2012) किये क्योंकि इन सभी मामलों में, समीक्षा आदेश अधिनिर्णयन प्राधिकारी के निर्णय के संप्रेषण की तिथि से तीन महीनों की सांविधिक सीमा के बाद पास किये गये थे। यह भी देखा गया था कि कमिश्नर ने 44 मामलों में बिना विलंब गलत प्रतिदाय की वसूली हेतु एससीएन जारी करने के लिए क्षेत्राधिकारी उप-कमिश्नर से अनुरोध किया (फरवरी 2012) जहां पर विभागीय अपील कमिश्नर (अपील) द्वारा रद्द कर (नवंबर 2011) दी गई थी। लेखा परीक्षा ने पाया कि कमिश्नर का आदेश फरवरी 2012 में सूचित कर दिया गया था और इस समय तक, 14 मामलों में ओआईओ के पास होने की एक वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। विभाग से जारी एससीएन यदि कोई जारी की गई थी, और 47 मामलों में अधिनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश प्रस्तुत नहीं किये।

इसके अतिरिक्त 50 मामलों में से 14 मामलों में लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये समीक्षा आदेशों से यह पता चला कि गलती से संस्वीकृत की गई राशि ₹ 41.36 लाख थी। इस प्रकार, प्रतिदाय आदेशों की तिथि से एक वर्ष के अंदर गलत प्रतिदाय की वसूली हेतु एससीएन को विलंब से जारी करने/जारी न करने के परिणामस्वरूप एससीएन समय बाधित हुए।

हमने यह इंगित किया (सितंबर 2014) और मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2015)।

2.5.5 एससीएन की पूर्णता

अधिनिर्णय नियमपुस्तक के सीबीइसी के ड्राफ्ट के अनुसार, एससीएन में मांगी गई राशि अवश्य दर्शाई जानी चाहिए। यदि “नोटिस एक आधार पर आधारित है, तो मांग को अन्य आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आदेश एससीएन से बाहर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) अन्य विषयों के साथ साथ यह दर्शाती है कि सेवा कर के भुगतान न करने/कम भुगतान के मामले में, एससीएन सामान्य मामले (28 मई 2012 से 18 महीनों के अंदर) में एक वर्ष के अंदर और शुल्क भुगतान से बचने की या गलत प्रतिदाय प्राप्त करने की इच्छा के साथ

धोखाधड़ी, सांठ-गांठ, जानबूझकर तथ्यों को छुपाने आदि के मामले में पांच वर्ष के अंदर दी जानी होती है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्पष्ट किया²³ (अक्टूबर 2007) कि एससीएन से पहले सेवा कर और ब्याज के भुगतान पर सभी कार्यवाहियों का समापन माना जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि धारा 73 (3) के रूप कार्यवाहियों का निष्कर्ष वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों के समापन माना जाएगा।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (3) के अनुसार, सेवा कर के भुगतान न करने/कम भुगतान करने के मामले में, सेवा कर देने को प्रभारित व्यक्ति अपनी स्वयं के अभिनिश्चयन आधार पर या उन पर अधिसूचना दिये जाने से पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा कर अधिनिर्चयन के आधार पर उक्त का भुगतान किया जा सकता है और लिखित में ऐसे भुगतान के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को सूचित किया जा सकता है, जो ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर किये गये भुगतान के संबंध में कोई अधिसूचना नहीं देगा।

आठ कमिश्नरियों²⁴ में 22 मामलों में हमने देखा कि ब्याज और जुमाने के साथ ₹ 20.68 की मांगे या तो गलती से या अदा की गईं। अदा न की गईं सेवा कर राशि एससीएन नहीं दर्शाती अतः अधिनिर्णयन आदेशों में छोड़ दी गई थी। इसके अतिरिक्त, एससीएन 12 मामलों में जारी कर दिये गये थे यद्यपि ब्याज सहित सेवा कर निर्धारिती द्वारा पहले ही अदा कर दिया गया था और दो मामलों में सेवा कर की अधिक राशि संगणना में अंकगणितीय गलती के कारण मांगी गई थी। मंत्रालय ने 15 मामलों में लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार (नवंबर 2015) की और छः मामलों में कहा कि रिपोर्ट भेजी जाएगी। एक मामले में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया, जिसे एक और अन्य मामले के साथ नीचे दर्शाया गया है:-

2.5.5.1 गुवाहटी कमिश्नरी में, सितंबर 2003 से अप्रैल 2007 की अवधि के लिए ₹ 2.17 करोड़ की मांग दर्शाते हुए एक एससीएन निर्धारिती द्वारा

²³ पत्र सं. 137/167/2006 सीएक्स-4- दिनांक 03/07/2007

²⁴ गुवाहाटी, शिलांग, बोलपुर, कोलकाता-एसटी, बड़ोदरा, विशाखापटनम-1, हैदराबाद II और हैदराबाद III

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

अनियमित रूप से प्राप्त किये गये सेनवैट क्रेडिट की वसूली हेतु निर्धारिती, महाप्रबंधक, बीएसएनएल (लैंड लाईन) को जारी की गई (मार्च 2009)। हमने पाया कि अपनी ओआईओ (मार्च 2013) में अधिनिर्णयन अधिकारी ने ब्याज और जुर्माने सहित मांगों को समाप्त कर दिया चूंकि एससीएन में बढ़ाई गई अवधि की मांग हेतु कोई प्रस्ताव नहीं था।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार (नवंबर 2015) नहीं किया और कहा कि चूंकि इस मामले को 'जान बुझ कर दबाया' गया था और बढ़ाई गई अवधि का अपने आप मांग लागू हो जाएगा।

यद्यपि, यह तथ्य अभी भी है कि एससीएन में बढ़ाई गई अवधि के मांग न किये जाने के कारण एससीएन को अधिनिर्णय में समाप्त कर दिया गया था और इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी।

2.5.5.2 विशाखापटनम-1 कमिश्नरी में, मै, इस्सके शिपिंग प्रा.लिमि. के विरुद्ध पोर्ट सेवाओं के अंतर्गत ओआईओ में ₹ 25.01 करोड़ की राशि की पुष्टि की (अक्टूबर 2011)। यद्यपि, एससीएन के साथ संलग्न संगणना के सत्यापन से पता चला कि सेवा कर की मांगी जाने वाली वास्तविक राशि ₹ 9.24 करोड़ होगी। इस प्रकार, 2009-10 और 2010-11 की अवधि के दौरान ₹ 15.77 करोड़ की एससीएन राशि की अधिक मांग की गई थी। यह संगणना में अंकगणितीय गलती के कारण हुआ।

जब हमने इसे इंगित किया (सितंबर 2014) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार (नवंबर 2015) की, कहा कि एससीएन में रेलवे मामलों को कर योग्य नहीं बताया गया, उसे कर योग्य मूल्य में शामिल कर लिया गया था और यह एक लिपिकीय चूक लग रही थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि ₹ 25.01 करोड़ के रूप में ओआईओ में मांग की पुष्टि की गई थी।

विभाग का तर्क कि एससीएन में ₹ 15.77 करोड़ की गलत राशि एक लिपिकीय चूक थी, स्वीकार्य नहीं हैं और एससीएन अधिनिर्णय के समय पर ऐसी बड़ी गलती नहीं देखी गई। मामले में प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2015)।

2.5.6 एससीएन शामिल करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 सी सेवा कर पर भी लागू होती है, यह दर्शाता है कि कोई एससीएन प्रदान किया जाएगा, क) प्राप्त करने वाले व्यक्ति या उसके प्राधिकृत एजेंट को देय पावती के साथ पंजीकृत डाक के साथ इसे भेज कर, ख) यदि यह बताये गये उक्त रूप से नहीं भेजी जा सकती, तब फैक्टरी या वेयर हाऊस में प्रत्यक्ष स्थान पर एक प्रति चिपकाई जा सकती है, ग) यदि यह संभव नहीं है, तब कार्यालय या प्राधिकारी जिसे सूचना आदि जारी की गई थी, वह सूचना नोटिस बोर्ड पर एक प्रति चिपकाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ड्राफ्ट अधिनिर्णय नियमपुस्तक के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सबसे महत्पूर्ण सिद्धांतों में से एक यह है कि नोटिस प्राप्त करने वाले के खिलाफ कोई विपरीत आदेश पारित किये जाने से पहले उसको सुनने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

राजकोट कमिश्नरी में हमने देखा कि सेवा कर मांग हेतु मै न्यू गज्जर इंजिनियरिंग जाम नगर के विरुद्ध एससीएन (अप्रैल 2010) निर्धारिती को नहीं सौंपा जा सका क्योंकि विभाग निर्धारिती को खोज नहीं सका। मामले को एससीएन सूचित किये बिना और व्यक्तिगत सुनवाई किये बिना अधिनिर्णित (नवंबर 2011) कर दिया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध था। हमने अवलोकन भी किया कि ओआईओ उक्त प्रावधान के उल्लंघन में निर्धारिती को सूचित नहीं किया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (सितंबर 2014) मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2015) कि भविष्य में धारा 37 सी के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर मामले का अनुसरण किया जाएगा और कि इस संबंध में यथातथ्य उत्साह में निदेशों का अनुसरण किया जाएगा।

2.6 अधिनिर्णय की प्रक्रिया

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 की उप-धारा (2क) यह प्रावधान करती है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपराधों और मांगों को तेजी से निपटान करने के उद्देश्य से, यदि धोखाधड़ी के कारण, सांठ-गांठ या जानबुझकर किसी गलत विवरण या तथ्यों को छिपाने या इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के या शुल्क का भुगतान माफ करने की इच्छा से बनाये गये

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

नियमों के उल्लंघन जहां भी संभव हो सकता है, द्वारा उत्पाद शुल्क उदग्रहित या अदा या कम उदग्रहित किया गया या कम-अदा किया गया या गलती से प्रतिदाय किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के अंदर ऐसे शुल्क की राशि अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अन्य किसी मामले में, जहां भी ऐसा करना संभव हो, वह उत्पाद शुल्क की राशि का निर्धारण करेगा जिसने उप धारा 11ए (1) के तहत व्यक्ति को नोटिस देने की तिथि से छः महीनों की अवधि के भीतर वसूली न की गई हो या कम वसूली की गई हो अथवा कम भुगतान किया गया हो या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया हो/यद्यपि सेवा कर के संबंध में ऐसे ही समान प्रावधान नहीं हैं।

यद्यपि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 33 क(1) नोटिस प्राप्त करने वाले को सुनवाई का अवसर देने के मामले में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अनुसार सेवा कर भी लागू होगा। इसके अतिरिक्त, कार्यवाही केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 33 के दौरान किसी पार्टी को तीन बार से अधिक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एससीएन का उत्तर सामान्यतः तीस दिनों के समय में दिया जाता है।

2.6.1 लंबित अधिनिर्णय मामले

हमने सात कमिश्नरियों²⁵ के रिकॉर्ड की नमूना जांच से अवलोकन किया कि सात कमिश्नरियों²⁶ में 46 एससीएन 41 मामलों में ₹ 21.08 करोड़ के राजस्व सहित 31 मार्च 2014 तक दो वर्षों के बाद भी अधिनिर्णय लंबित थे, जिसे लेखापरीक्षा परिमाणित कर सके। 15 मामलों में तीन से पांच वर्षों के बीच विलंब तथा नौ मामलों में छः वर्षों से अधिक का विलंब था।

हमने जब यह इंगित किया (सितंबर 2015), मंत्रालय ने 38 मामलों में तथ्यों को स्वीकार (नवंबर 2015) किया तथा इसके अतिरिक्त यह कहा कि अधिनिर्णयन प्राधिकारियों में बार-बार परिवर्तन, श्रमबल और संरचनात्मक बाधाओं से अधिनिर्णयन में प्रक्रिया में विलंब हुआ। कई बार, चूंकि अधिनिर्णयन प्रक्रिया में काफी संख्या में दस्तावेजों का सत्यापन, गवाहों की प्रति-जांच आदि

²⁵ चंडीगढ़- I, पंचकुला, दिल्ली एसटी, भोपाल, रायपुर कोयम्बटूर और बड़ोदरा-I

²⁶ भोपाल, चंडीगढ़- I, पंचकुला, दिल्ली एसटी, भोपाल, रायपुर, बड़ोदरा-I

शामिल होती है, ये सभी कारक भी अधिनिर्णयन प्रक्रिया में विलंब बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, आठ मामलों में मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट भेजी जाएगी।

2.6.2 व्यक्तिगत सुनवाई का निर्धारण

केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 33(ए)(1) के अनुसार, जो सेवा कर के लिए भी लागू है, अधिनिर्णय प्राधिकरण पार्टी को सुनवाई का अवसर देगी।

“हैदराबाद—II कमिश्नरी के 11 मामलों में हमने अवलोकन किया कि एससीएन जारी करने के दो वर्षों से अधिक समय के बाद भी निर्धारितियों की व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और चार मामलों में अधिनिर्णयन प्रक्रिया शुरू की गई। आगे यह भी कहा गया कि सात मामलों में ईपीसी/चल रही परियोजनाओं, जिससे ये संबंधित थीं; माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभाग की अपील लंबित होने के कारण फाईलें अधिनिर्णयन हेतु लंबित थीं। आगे की संवीक्षा से पता चला कि इन सात मामलों में से चार को, जिसके लिए कमिश्नरी द्वारा विवरण उपलब्ध कराए गए थे, उनको नवम्बर 2015 में ही कॉलबुक में स्थानांतरित कर दिया गया था। अंतर्निहित था कि इन चार मामलों में, जिसमें एससीएन जारी किए गए थे, न तो अधिनिर्णयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और न ही तीन वर्षों तक मामलों को कॉलबुक में स्थानांतरित किया गया था।

2.6.3 व्यक्तिगत सुनवाई का प्रतिपादन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 33ए के अनुसार जो सेवा कर पर भी लागू है, निर्णायक प्राधिकरण किसी पक्ष को सुनने का अवसर देगा और सुनवाई स्थगित करेगा तथा कार्यवाही के दौरान पार्टी को तीन बार से अधिक ऐसा स्थगन नहीं दिया जाएगा।

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

नमूना जाँच क दौरान हमने 16 कमिश्नरियों²⁷ में 208 मामलों में उपरोक्त विधिक प्रावधानों के उल्लंघन में पार्टियों को तीन बार से अधिक स्थगन दिया गया था।

स्थगन की संख्या 4 से 12 थी।

जब हमने इसे बताया (जून 2014 से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने 193 मामलों में स्थगन का कारण न्यायिक प्राधिकरण के स्थानान्तरण, निर्धारिती के अनुरोध, व्यक्तिगत सुनवाई में पार्टियों का न पहुँचना बताया (नवम्बर 2015) और कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन हेतु विस्तार दिए गए थे। 15 मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

2.6.4 व्यक्तिगत सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित अवधि के भीतर न्यायिक आदेश जारी करना

बोर्ड के परिपत्र दिनांक 20 सितम्बर 2010²⁸ के पैरा 3 के अनुसार, सभी मामलों में जहाँ व्यक्तिगत सुनवाई पहले ही पूरी हो गई है, व्यक्तिगत सुनवाई की पूर्णता तिथि से एक महीने के भीतर सामान्यतः आदेश जारी किया जाना चाहिए था।

हमने देखा कि विभाग ने 21 कमिश्नरियों²⁹ के 472 मामलों में 01 दिन से दो वर्षों तक की देरी (पार्टियों को दी गई अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई पूर्ण होने की तिथि से 30 दिन अधिक) के पश्चात् ओआईओ पास किये । इन विलम्बों में से दो तिहाई में एक महीने से अधिक देरी थी। 14 मामलों में ऐसी देरी एक वर्ष से अधिक थी।

जब हमने इसे बताया (जून 2014 से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और बताया कि यह स्टॉफ की अत्यधिक कमी, लगातार न्यायिक प्राधिकार बदलने, बुनियादी

²⁷ गुवाहाटी, कोलकाता एसटी, शिलोंग, राँची, दिल्ली एसटी, दिल्ली एसटी I, दिल्ली एसटी-IV, चंडीगढ़-I, पंचकूला, अहमदाबाद एसटी, वड़ोदरा I, राजकोट, जयपुर I, जयपुर II, अलवर और उदयपुर

²⁸ परिपत्र सं. 130/12/2010-एसटी दिनांक 20 सितम्बर 2010

²⁹ गुवाहाटी, बोलपुर, शिलोंग, चंडीगढ़ I, पंचकूला, नोएडा, मुंबई एलटीयू, औरंगाबाद, विशाखापट्टनम I, हैदाराबाद एसटी, कालीकट, कोचीन, कोयम्बटूर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दिल्ली एसटी, दिल्ली एसटी-I और दिल्ली एसटी III।

बाधाओं, मामलों में अत्यधिक अभिलेख, निर्धारितियों द्वारा अतिरिक्त अभिलेखों की देर से प्रस्तुति आदि के कारण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि किसी भी मामले में न्यायिक आदेश पीएच पूर्णता तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए था।

2.7 मॉनीटरिंग और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

मॉनीटरिंग और आंतरिक नियंत्रण एक समेकित प्रक्रिया है जो जोखिम की पहचान करती है और प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता तथा पर्याप्तता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है। हमने इस संबंध में निम्नलिखित कमियाँ देखीं।

2.7.1 कॉल बुक मामलों की समीक्षा

बोर्ड के परिपत्र दिनांक 14 दिसम्बर 1995³⁰ के अनुसार उन मामलों को कॉल बुक को स्थानांतरित किया जा सकता है जहाँ विभाग ने उपयुक्त प्राधिकारी को अपील किया हो, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई हो, जहाँ बोर्ड ने मामलों को कॉल बुक में रखने का विशेष आदेश दिया हो।

बोर्ड ने फिर से जोर दिया³¹ कि कॉल बुक मामलों की प्रतिमाह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक, निरीक्षण (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क) ने फिर से यह कहते हुए कि कॉल बुक मामलों की समीक्षा से कॉल बुक में गैर पुष्ट मॉगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है, मासिक समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया (दिसम्बर 2005)।

नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि आठ कमिशनरियों³² में कॉल बुक में पड़े 64 मामलों में विभाग द्वारा मामलों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी। तीन उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

³⁰ बोर्ड का परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स दिनांक 14 दिसम्बर 1995

³¹ डीओ फा. सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 दिनांक 3 जनवरी 2005

³² कोलकाता एसटी, वड़ोदरा I, दिल्ली एसटी, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, दिल्ली एसटी-III, दिल्ली एसटी-IV और दिल्ली एलटीयू

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

- i) कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में 20 मामले सितम्बर 2008 से समीक्षा किए बिना कॉल बुक में पड़े थे । महानिदेशक, सेवा कर, मुंबई और निरीक्षण महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद (पूर्वी क्षेत्र इकाई) ने 2012 और 2013 में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में भी कॉल बुक मामलों की आवधिक समीक्षा का सुझाव दिया था। अभी तक इसका पालन नहीं किया गया था ।
- ii) वड़ोदरा-I कमिश्नरी के अंतर्गत मंडल-III में कॉलबुक में पड़े सात मामलों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी ।
- iii) दिल्ली एसटी कमिश्नरियों और एलटीयू कमिश्नरी, दिल्ली में कॉल बुक में पड़े 37 मामलों की मासिक समीक्षा नहीं की गई थी ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और कहा कि उन्होंने कॉल बुक मामलों की समीक्षा शुरू की है ।

2.7.2 कॉल बुक में मामलों का पड़े रहना

बोर्ड के दिनांक 3 फरवरी 2010³³ के अपने पत्र फा. सं. 206/02/2010-सीएक्स-6 नई दिल्ली में स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे मामले जहाँ विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की गई हो, और इसे सेरा द्वारा एसओएफ/ डीएपी में नहीं बदला गया हो, तो उक्त लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए जारी एससीएन पर लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर भेजने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद निर्णय किया जा सकता है । हालांकि अधिनिर्णयन से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा आपत्ति को एसओएफ/ डीएपी में नहीं बदला गया है ।

सात कमिश्नरियों³⁴ में ₹ 22.35 करोड़ मूल्य वाले 52 मामले अनुचित रूप से कॉल बुक में रखे पाए गए थे । इस त्रुटि के कुछ कारण मामले को कॉल बुक में स्थानांतरित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का गैर-अनुमोदन, कॉल बुक में पैरा लंबित रखे जाने जबकि समान मामलों में उच्च प्राधिकारियों द्वारा निर्णय दिए गए थे और सेरा पैरा को चुनौती देने के आधार पर कॉल बुक में पैरा

³³ फा. सं. 206/02/2010-सीएक्स 6 नई दिल्ली, दिनांक 03 फरवरी 2010

³⁴ बोलपुर, कोलकाता एसटी, बेंगलुरु एलटीयू, बेंगलुरु एसटी, दिल्ली एसटी, भोपाल और इंदौर

लंबित रखना जबकि इन मामलों में सेरा द्वारा कोई एसओएफ/डीपी जारी नहीं किया गया था या सेरा द्वारा पैरा बंद किए गए थे, आदि।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और आगे बताया कि जहाँ भी आवश्यक था, कॉल बुक से मामले निकाले जा रहे हैं।

2.7.3 एमटीआर के माध्यम से रिपोर्टिंग का निगरानी तंत्र

बोर्ड ने कमिश्नरों एवं मुख्य कमिश्नरों को अधिनिर्णयन वाले मामलों के लंबन के कारणों का विश्लेषण करने तथा मानीटरिंग प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दिया था (मई 2003)³⁵। इसके अतिरिक्त, विभाग के पास आवधिक रिपोर्टिंग प्रणाली है अर्थात् अधिनिर्णयन, लंबन के कारण, गैर-पुष्ट मॉग, लंबित कॉल बुक मामले आदि से संबंधित मामलों की निगरानी एवं उनके निपटान मासिक तकनीकी रिपोर्ट हैं। इसमें से कुछ की डीजीआईसीसीई द्वारा तथा अन्य की डीजीएसटी द्वारा निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, विभाग को मासिक लेखापरीक्षा निगरानी समिति की बैठक में इसका अनुमोदन लेने के पश्चात् आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित "लेखापरीक्षा अनुवर्ती पंजिका" बनानी पड़ती है। प्रत्येक सेरा आपत्ति को सेरा आपत्ति कक्ष के पंजिका में नोट किया जाता है। इसी प्रकार प्रति-अपवंचन कक्ष में प्रत्येक संसूचना पर आरएसटी-5 (पूर्व में 335जे) पंजिका बनाई जानी चाहिए।

डीजीआईसीसीई, नई दिल्ली की क्षेत्रीय ईकाई आवधिक रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करती है। सीबीईसी की सहायता हेतु डीजीआईसीसीई अधिनिर्णयन मामलों की प्रगति के साथ-साथ उसकी निगरानी एवं मूल्यांकन भी करता है।

हमने 13 कमिश्नरियों³⁶ में नमूना जाँच में देखा कि निर्धारित विभिन्न पंजिकाएँ या तो नहीं बनाई थीं अथवा अपूर्ण थीं। एससीएन पंजिका में एससीएन जारी करने की निर्धारित तिथि का कोई कॉलम नहीं था। ऐसे मामलों

³⁵ पत्र सं. 296/2/2003-सीएक्स दिनांक 23 मई 2003

³⁶ कोलकाता एसटी, शिलांग, बड़ोदरा I, राजकोट, मुंबई एसटी-1, मुंबई एलटीयू, औरंगाबाद, भुवनेश्वर I, इंदौर, भोपाल, दिल्ली एलटीयू, नोएडा और राँची

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

से संबंधित कोई रिपोर्टिंग प्रणाली नहीं थी जहाँ एससीएन जारी किया जाना था और एमटीआर में रिपोर्टिंग की कोई संभावना नहीं थी।

इस प्रकार, इसने एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया से संबंधित निगरानी एवं कार्यप्रणाली में कमियाँ दर्शाईं।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और कहा कि आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं और तत्पश्चात् ठीक से अभिलेख अनुरक्षित किये जाएंगे।

इसके अलावा, हमने मुख्य कमिश्नर, भुवनेश्वर जोन और भुवनेश्वर-1 कमिश्नरी द्वारा सेवा कर महानिदेशालय, मुम्बई को प्रस्तुत की गई भुवनेश्वर-1 कमिश्नरी की मार्च 2014 की एमटीआर में अधिनिर्णयन के लंबन के आंकड़ों में विसंगति देखी, जो निम्नलिखित है:-

(31 मार्च 2014 तक लंबित अधिनिर्णयन)

स्रोत	मुख्य कमिश्नर की रिपोर्ट		कमिश्नर की रिपोर्ट	
	संख्या	राशि (₹ लाख में)	संख्या	राशि (₹ लाख में)
ओबी	390	45147.11	383	53331.09
प्राप्तियाँ	05	3935.00	20	339.57
कुल	395	49082.11	403	53670.66
निपटान	14	1946.02	13	151.61
सीबी	381	47136.09	390	53519.05

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014), कमिश्नर, भुवनेश्वर द्वारा लेखापरीक्षा को एक संशोधित विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके आंकड़े भी मुख्य कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुरूप नहीं थे।

2.7.4 एससीएन तैयार करने और जारी करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण

विभाग की ड्रॉफ्ट अधिनियम नियमावली के अनुसार एससीएन अस्पष्ट, संदेहास्पद या विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए। एक मुद्दे पर दो एससीएन जारी करना कानूनी रूप से उचित नहीं है।

हमने देखा कि चार कमिश्नरियों³⁷ में छः मामलों में, एक मुद्दे पर दो बार माँग की गई थी और उक्त आधार पर अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा छोड़ दिया गया था। तीन मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (नवम्बर 2015)। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया कि तीन मामलों में दूसरा एससीएन जारी करने में कोई अनियमितता नहीं थी। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने यह कहते हुए सभी तीन मामलों में दूसरा एससीएन छोड़ दिया था कि एक मुद्दे पर दो बार एससीएन जारी करना कानूनी रूप से उचित नहीं था। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है।

2.7.4.1 नोएडा कमिश्नरी में, डिश टी.वी. इंडिया को अवधि (वि व 07 से वि व 11) के संबंध में रिवर्स प्रभार के अंतर्गत ₹ 1.25 करोड़ राशि के सेवा कर के लिए एससीएन जारी किया गया था (मार्च 2013)। निर्धारिती ने बताया कि उसी अवधि के लिए (वि व 07 से वि व 11) इसी मुद्दे पर दूसरा एससीएन जारी किया गया था। अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा यह भी आदेश दिया गया था (मार्च 2014) कि माँग वापस ले ली गई थी क्योंकि नवम्बर 2012 में इस माँग की पुष्टि हो गई थी। इस प्रकार एक ही और समान मुद्दे पर दो एससीएन जारी करना उचित नहीं था।

जब हमने बताया (मई 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015), और बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को माँग जारी करते समय सभी सावधानियाँ बरतने के निर्देश दिए गए थे।

2.7.4.2 शिलांग कमिश्नरी में, बीएसएनएल, मणिपुर एसएसए, इम्फाल को ₹ 59.18 लाख के सेवा कर की माँग हेतु एससीएन जारी किया गया था (अगस्त 2010), जबकी जून 2008 में ही इस माँग पर निर्णय हो गया था। हालांकि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने एक मुद्दे पर दोहरा निर्णय देने से बचने के लिए इस मुद्दे को छोड़ दिया था (नवम्बर 2011)। अतः एससीएन जारी करने में त्रुटि थी।

इस प्रकार, इस संबंध में विभाग में उचित निगरानी तंत्र न होने के कारण एक मुद्दे पर दो बार एससीएन जारी हुआ।

³⁷ गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता एसटी और नोएडा

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि आगे के दिशा-निर्देशों हेतु बिन्दु नोट कर लिए गए थे।

2.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एससीएन जारी करने के पहले कदम से इसके अधिनिर्णयन तक इसमें देरी और कमियाँ थी। प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक है कि कार्य न्यूनतम संभव समय में किया जाए। अधिकतम समय-सीमा कार्य पूर्ण करने की आखिरी सीमा निर्धारित करती है। एससीएन जारी करने की निर्धारित समय सीमा एक वर्ष थी जिसे विशेष परिस्थितियों में पाँच वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रावधान था। लेकिन इसके बावजूद, यह देखा गया कि विस्तारित अवधि को असाधारण अपवाद की बजाए सामान्य प्रावधान के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। अतः सुनियोजित निगरानी द्वारा एससीएन जारी करने और इसकी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में देरी कम करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी राजस्व और निर्धारिती, दोनों के हितों की सुरक्षा की जा सके।

अध्याय III

नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

3.1 प्रस्तावना

हमने सेवा कर के भुगतान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की जांच की और कर भुगतान एवं सेनवेट क्रेडिट लेने की सटीकता की जांच की। हमने सेवा कर के गैर/कम भुगतान, अनुचित रूप से सेनवेट क्रेडिट लेने और इसका उपयोग करने आदि के मामले देखे। हमने ₹ 216.34 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 98 ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को इन आपत्तियों से अवगत कराया। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 206.70 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 97 ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की (जनवरी 2016 तक) और एक मामले में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। 97 पैराग्राफों में से मंत्रालय ने ₹ 162.54 करोड़ (परिशिष्ट-II) राशि वाले 95 पैराग्राफों को मान लिया और दो मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। इन स्वीकृत राशियों में से, ₹ 33.20 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। महत्वपूर्ण आपत्तियाँ की चर्चा नीचे दो मुख्य शीर्षकों के तहत की गई है:

- सेवा कर का भुगतान
- सेनवेट क्रेडिट लेना

3.2 सेवा कर का भुगतान

3.2.1 खनिज, तेल अथवा गैस सेवा का खनन

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) के अनुसार खनिज, तेल अथवा गैस सेवा के खनन पर 1 जून 2007 से सेवा कर देय था और इसे खनिज, तेल अथवा गैस के खनन के संबंध में किसी व्यक्ति को दी गई सेवा या दी जाने वाली सेवा के रूप में परिभाषित किया गया था।

1 मार्च 2002 की अधिसूचना सं. 1/2002-एसटी के अनुसार, वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय V के प्रावधान को भारत की महाद्वीपीय सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्धारित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया गया था जैसा कि विदेश मंत्रालय मामले सं. एस.ओ. 429 (ई) दिनांक 18 जुलाई 1986 और

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

एस.ओ. 643(ई) दिनांक 19 जुलाई 1996 में भारत की अधिसूचना द्वारा घोषणा की गई थी।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं में कुओं और तत्संबंधी समंवकों का नाम दर्शाया गया था जिसे निर्धारित किए जाने वाले क्षेत्रों में घोषित किया गया था।

अधिसूचना सं. 21/2009 दिनांक 7 जुलाई 2009 द्वारा फिर से अधिसूचना सं. 1/2002, दिनांक 1 मार्च 2002 संशोधन कर दिया गया और शब्दों 'महाद्वीपीय क्षेत्र में निर्धारित क्षेत्रों' को बदल दिया गया तथा इसे 'भारतीय महाद्वीप और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापना, संरचना और पोत एवं तत्काल रूप से प्रभावी कर दिया गया।"

इसका तात्पर्य था कि चाहे निर्धारित अथवा गैर निर्धारित क्षेत्रों में प्रदान की गई सभी सेवाओं पर कर लगाया जाएगा बशर्ते कि वे भारतीय महाद्वीपीय सीमा और भारत के आर्थिक क्षेत्र में आते हो।

3.2.1.1 मुंबई सेवा कर-॥ कमिश्नरी में मै. ट्रांसओशन ऑफशोर डीपवॉटर ड्रिलिंग आईएनसी और मै. सिडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिलिंग आईएनसी. ने 7 जुलाई 2009 से 12 नवम्बर 2009 की अवधि के दौरान निर्धारित क्षेत्रों के अलावा क्षेत्रों में ओएनजीसी लिमिटेड को तेल खनन सेवाएं प्रदान की। लेखापरीक्षा ने देखा कि ये सेवायें देने के लिए निर्धारितियों ने सितम्बर 2009 से दिसम्बर 2009 के दौरान ₹ 288.49 करोड़ की राशि (₹ 196.75 करोड़ + ₹ 91.74 करोड़) प्राप्त की। यह भी देखा गया कि इस राशि पर कोई सेवा कर नहीं अदा किया गया जो सही नहीं था क्योंकि उपरोक्त कथित अधिसूचना के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीपीय सीमा और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित सभी सेवाओं पर सेवा कर देय था। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त उल्लिखित अवधि के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए ₹ 30.27 करोड़ (₹ 20.27 करोड़ + ₹ 10 करोड़) के सेवा कर का गैर भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (फरवरी और मार्च 2010), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और कहा की (दिसम्बर 2015) की ₹ 38.70 करोड़ और ₹ 14.31 करोड़ राशि की माँग करते हुए क्रमशः मै. ट्रांसओशन ऑफशोर डीपवॉटर ड्रिलिंग आईएनसी और मै. सिडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिलिंग

आईएनसी. को एससीएन जारी किया गया था और दोनों मामलों में निर्णय दिया गया था और माँग की पुष्टि की गई थी।

3.2.1.2 सेवा कर-IV मुंबई कमिश्नरी में मै. बी.जी. एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इंडिया लि. (बीजीईपीआईएल) ने ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के साथ मिलकर एक अनिगमित संयुक्त उद्यम बनाया था और खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस खनन गतिविधियों में संलग्न थी, जिसके द्वारा संयुक्त उद्यम में शेयर होल्डिंग अनुपात (अर्थात् बीजीईपीआईएल 30 प्रतिशत, ओएनजीसी 40 प्रतिशत और आरआईएल 30 प्रतिशत) में लागत और लाभ साझा किया गया। ओएनजीसी ने अपतट से तट (वितरण बिन्दु) तक खनिज तेल के परिवहन हेतु परिवहन सेवार्यें प्रदान की थीं जिसके लिए संयुक्त उद्यम से ₹ 83.85 करोड़ राशि का परिवहन प्रभार वसूला गया था।

आगे की संवीक्षा से पता चला कि ओएनजीसी ने बीजक मूल्य (अर्थात् बीजीईपीआईएल और आरआईएल के शेयर) के 60 प्रतिशत पर सेवा कर लगाया था। शेष 40 प्रतिशत को संयुक्त उद्यम में ओएनजीसी का हित होने के कारण 'स्टॉक स्थानांतरण' के रूप में माना गया था और इसलिए 40 प्रतिशत तक मूल्य घटा दिया गया था। अतः उपरोक्त प्रावधान को देखते हुए सेवा का कुल मूल्य (अर्थात् कुल परिवहन प्रभार) को सेवा कर के भुगतान हेतु माना जाना चाहिए था न कि आंशिक राशि।

उपरोक्त प्रावधान के अनुपालन के परिणामस्वरूप मई 2007 से मार्च 2011 की अवधि³⁸ के लिए ₹ 48.62 करोड़ की राशि के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जिसकी ब्याज और शास्ति सहित वसूली की जानी थी।

जब हमने इसके बारे में बताया (अप्रैल 2012), कमिश्नरी ने बताया (मई 2015) कि निर्धारिती को अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2014 की अवधि के लिए ₹ 39.43 करोड़ की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था।

³⁸ निर्धारिती ने उल्लेख किया कि अप्रैल 2007 तक सेवा कर परिवहन प्रभारों के मूल्य पर भुगतान किया जाता था।

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

इसके अतिरिक्त कर प्रभाव में अन्तर के कारणों और लेखापरीक्षा आपत्ति और एससीएन के बीच कवर की गई अवधि के बारे में विभाग का उत्तर और मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2016)।

3.2.2 निर्धारितियों का पंजीकरण

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 69 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो सेवा कर के भुगतान का दायी है को सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 68(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति, जो कर योग्य सेवा प्रदान करता है को सेवा कर का भुगतान करना होगा।

यह पाया गया कि मै बीएल कश्यप एंड सन्स लि. ने मै. एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल), भटिंडा, (चण्डीगढ़ 11 कमिश्नरी) को निर्माण कार्य सेवाएं प्रदान की तथापि, सेवा प्रदाता नतो विभाग के पास पंजीकृत था न उसने 2009-10 से 2011-12 के दौरान अपनी सेवा कर देयता को पूरा किया था। सेवा प्रदाता ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान निर्माण कार्य सेवाओं के प्रति ₹ 139.22 करोड़ प्राप्त किए किन्तु सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर प्रभारित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.73 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ। सेवा प्रदाता वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75, 76, और 78 के अन्तर्गत ब्याज और शास्ति के भुगतान का भी दायी था।

जब हमने इसके बारे में बताया (जून 2012), कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जनवरी 2013) कि मामला सेवा कर कमिश्नरी, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकारी कमिश्नर को जांच के लिए और सरकारी देयों की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए भेजा गया था और आगे कहा कि मामला सहायक कमिश्नर (अपवंचन रोधी) सेवा कर कमिश्नरी, नई दिल्ली को सेवा प्रदाता के प्रति आवश्यक कार्रवाई और आपत्ति किए गए सेवा कर राशि की वसूली हेतु संदर्भित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)

3.2.3 सेवा के आयात के तहत सेवा कर का भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66(ए) के अनुसार, जहाँ धारा 65 के खण्ड (105) में विनिर्दिष्ट कोई सेवा प्रदान की जाती है या एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती होती है जिसने अपना कारोबार स्थापित किया हो या ऐसी स्थापित स्थापना से भारत से अन्य किसी देश से सेवा प्रदान करता है और एक ऐसे व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) द्वारा भारत में प्राप्त की जाती है तो ऐसे मामलों में ऐसी सेवा का प्राप्तकर्ता सेवा कर के भुगतान का दायी है।

में ओकैप चेजिज पार्टस प्रा.लि, भिवाडी, अलवर कमिश्नरी में एक 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिट ने विदेशी सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवाओं के लिए भुगतान/व्यय किया। 2012-13 और 2013-14 की अवधि के लिए तुलना-पत्र की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने यात्रा व्यय, बैंक प्रभारों, प्रदर्शनी प्रभारों, सामग्री जांच प्रभार और विदेशी सेवा प्रदाताओं से प्राप्त विभिन्न सेवाओं के लिए सी एंड एफ प्रभारों पर ₹ 2.87 करोड का भुगतान/व्यय किया किन्तु इस राशि पर उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उपकर सहित ₹ 33.82 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2015) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि एक समान मामले में विभाग द्वारा की गई अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित थी, जिस पर कोई स्थगन नहीं दिया गया था। अतः इस स्तर पर उक्त निर्णय के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तथापि, ₹ 43.51 लाख के सेवा कर की वसूली हेतु सुरक्षात्मक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (जून 2015)।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि समान मामला उच्च न्यायालयों में लम्बित था राजस्व को बचाने के लिए स्वयं विभाग द्वारा एक एससीएन जारी किया जाना चाहिए था, जो हमारे द्वारा बताए जाने के बाद ही किया गया था।

3.3 सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

3.3.1 सेनवेट क्रेडिट वापिस न करना/ कम वापिस करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट इनपुट या इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर अनुमत नहीं होगा जिसे छूट प्राप्त माल के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयोग किया गया है। नियम 2 (ई) के अनुसार, 'छूटप्राप्त सेवा' का अर्थ है कर योग्य सेवाएं जो उस पर उद्ग्राह्य पूरे सेवा कर से छूट प्राप्त हैं और उसमें वित्त अधिनियम की धारा 66 बी के तहत कोई सेवा कर उद्ग्राह्य नहीं है। दिनांक 1 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 03/2011-सीई (एनटी) में स्पष्ट किया गया है कि 'छूट प्राप्त सेवाओं' में 'ट्रेडिंग' शामिल है। इसके अलावा, दिनांक 29 अप्रैल 2011 के बोर्ड के परिपत्र सं. 943/04/2011 सीएक्स के अनुसार 'ट्रेडिंग' की 1 अप्रैल 2008 से पूर्व से ही एक 'छूटप्राप्त सेवा' है।

मुम्बई कमिश्नरी में मै. एल एंड टी लिमिटेड (हैवी. इंजी. डिविजन) पोवई, जो ट्रेडिंग कार्यों में भी लगा है, इनपुट सेवा पर आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए योग्य थी। तदनुसार, निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के लिए नियम 6(3ए) के साथ पठित नियम 6(3)(ii) के अनुसार सामान्य सेवाओं के संबंध में रिवर्स आनुपातिक सेवा कर क्रेडिट के विकल्प का उपयोग किया।

- (i) लेखापरीक्षा ने पाया कि छूट प्राप्त सेवाओं के संबंध में आनुपातिक क्रेडिट को रिवर्स करने के लिए वि व 11 के दौरान ट्रेडिंग कार्य पर विचार नहीं किया गया था। ट्रेडिंग कार्यों पर आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट ₹ 22.03 लाख था जो ₹ 14.49 लाख की राशि के ब्याज सहित रिवर्स किया जाना अपेक्षित था। इसी प्रकार का प्रयोग वित्तीय वर्ष 09 और वि व 10 के लिए भी किए जाने की आवश्यकता थी।
- (ii) लेखापरीक्षा ने पाया कि वि व 12 और वि व 13 के लिए भी, निर्धारिती प्रत्येक माह के लिए अनंतिम आधार पर 'ट्रेडिंग कार्यों' सहित छूट प्राप्त आउटपुट सेवाओं के लिए सेवा कर क्रेडिट की गणना और भुगतान कर रहा था, और पूरे वर्ष के लिए अन्तिम देय सेवा कर

क्रेडिट का निर्धारण 8.23 प्रतिशत³⁹ (वि व 12 के लिए) और 9.28 प्रतिशत (वि व 13 के लिए) पर किया गया था।

तथापि, निर्धारिती द्वारा फाइल की गई गणना की ईआर-1 रिटर्न तुलना से पता चला कि निर्धारिती ने 'वित्तीय वर्ष के दौरान इनपुट सेवाओं पर लिए गए कुल सेनवेट क्रेडिट' पर विचार नहीं किया था, जैसा कि सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3ए)(सी)(iii) के प्रावधानों में अनुबद्ध है। रिवर्सिंग करते समय निर्धारिती सूत्र के उल्लघन में केवल 'सामान्य इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट' अपना रहा था।

इस चूक के परिणामस्वरूप गलत गणना और ₹ 65.49 लाख (वि व 12 के लिए) और ₹ 78.08 लाख (वि व 13 के लिए) की राशि का कम रिवर्सल हुआ। इसे ब्याज सहित रिवर्स करने की आवश्यकता है।

- (iii) अवधि को कवर करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा ने छूट प्राप्त माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अननुपालन के बारे में बताया और निर्धारिती को छूट प्राप्त माल के पाँच प्रतिशत (1 अप्रैल 2012 से प्रभावी छह प्रतिशत) की राशि का भुगतान करना दायी था। किन्तु आन्तरिक लेखापरीक्षा ने छूट प्राप्त सेवाओं (ट्रेडिंग सहित) किसी चूक के बारे में नहीं बताया जैसा कि सेरा द्वारा बताया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2014) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2015) कि वि व 10 से वि व 13 के लिए ₹ 1.41 करोड़ की राशि का एससीएन जारी किया गया था और वि व 14 की अवधि के लिए ₹ 4 लाख की राशि का एक और एससीएन जारी किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है देरी से एससीएन जारी करने के कारण वि व 09 के लिए मांग समय-बाधित हो गई थी।

³⁹ सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3ए)(सी)(iii) के अन्तर्गत निर्धारित सूत्र के अनुसार

अध्याय IV

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता

4.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण किसी सत्त्व के प्रबंधन और कार्मिकों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है और यह जोखिम का समाधान करती है और सत्त्व के लक्ष्य के लिए तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सत्त्व निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त कर रहा है:

- व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और कुशल परिचालन का निष्पादन;
- जवाबदेही का दायित्व निभाना;
- लागू कानून और विनियमों का अनुपालन ;
- हानि, दुरुपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।⁴⁰

4.2 लेखापरीक्षा का परिणाम

अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने आन्तरिक लेखापरीक्षा, संवीक्षा जैसे क्षेत्रों में कई मामले पाए जिससे पता चलता है कि विभाग को मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता को देखना चाहिए। हमने मंत्रालय को 67 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों, जिनमें ₹ 170.01 करोड़ का वित्त निहितार्थ था के माध्यम से इन आपत्तियों की सूचना दी।

मंत्रालय/विभाग ने 65 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्ति जिसमें ₹ 166.88 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ था के राजस्व पहलू को स्वीकार किया (जनवरी 2016 तक) जिसमें से ₹ 20.57 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। मंत्रालय ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। उपरोक्त 65 पैराओं में से, मंत्रालय ने 50 पैराओं, जिनमें ₹ 146.61 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ था, में विभाग की विफलता को स्वीकार किया (परिशिष्ट III)। मंत्रालय ने 12 मामलों में केवल राजस्व भाग की लेखापरीक्षा आपत्ति को

⁴⁰ इंटोसाई जीओवी 9100- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आन्तरिक नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

स्वीकार किया। बाकी तीन मामलों में मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी। महत्वपूर्ण आपत्तियों की चर्चा चार मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत की गई है:

- कर आधार का बढ़ाना
- रिटर्नो की संवीक्षा
- निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा
- अन्य मामले

4.3 कर आधार बढ़ाना

महानिदेशक सेवा कर की कार्रवाई योजना, जिसे 26 मई 2003 को मुख्य कमिश्नर को परिपत्रित किया गया था, के अनुसार क्षेत्रीय संरचनाओं को पीएसयू और निजी क्षेत्र संगठनाओं सहित मुख्य निर्धारितियों से उनके द्वारा ली जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित सूचना और ऐसे सेवा प्रदाताओं का उनके पते सहित ब्योरा प्राप्त करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रेंज अधिकारी को पीएसयू सहित मुख्य निर्धारितियों से उनके द्वारा ली जा रही विभिन्न सेवाओं और ऐसे सेवा प्रदाताओं से ब्योरा प्राप्त करना था ताकि कर आधार को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बोर्ड ने प्रत्येक कमिश्नरी में एक स्पेशल सैल बनाने के निर्देश जारी किए (नवम्बर 2011) ताकि संभावित निर्धारितियों की पहचान की जा सके।

हमने तीन दृष्टान्त देखे, जहाँ विभाग सेवा कर न देने वालों की पहचान करने में विफल रहा जिसमें से दो दृष्टान्त नीचे दिए गए हैं:

4.3.1 सेवा कर संग्रहीत करना किन्तु सरकारी खाते में प्रेषित न करना

वित्त अधिनियम की धारा 68 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करता है, को ऐसे तरीके में और उसमें निर्दिष्ट ऐसी अवधि के अन्दर करता है धारा 66 में विनिर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करना होगा।

चण्डीगढ़-। कमिश्नरी में मै. मास्टर माइंड क्लासेस और मै. गेटवे ने वि व 12 के दौरान हरियाणा सरकार से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने के लिए सेवा कर के प्रति क्रमशः ₹ 23.84 लाख और ₹ 9.89 लाख प्राप्त किए। आगे यह भी पाया गया कि मै. गेटवे ने वि व

12 के लिए एसटी-3 विवरणी दर्ज की जिसमें मूल्य 'शून्य' के रूप में दर्शाया जबकि मै. मास्टर माइंड क्लासेस ने वि व 12 के लिए कोई एसटी-3 विवरणी फाइल नहीं की थी। किसी भी निर्धारिती ने संग्रहित सेवा कर जमा नहीं करवाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.73 लाख का सेवा कर अपवचन हुआ। यह आपत्ति हरियाणा सरकार विभाग की व्यय लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी थी। जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014), मंत्रालय ने (अक्टूबर 2015) यह सूचना देते हुए कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई राशि के लिए एससीएन जारी किया गया था (अगस्त 2015) बताया, कि चूंकि दोनों निर्धारितियों ने सुसंगत अवधि के लिए रिटर्न फाइल नहीं की जिससे चूक का पता नहीं लग सका।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, विभाग को अन्य सरकारी विभागों से उनके द्वारा प्राप्त कर योग्य सेवाओं से संबंधित सूचना एकत्र करनी चाहिए थी ताकि संभावित निर्धारितियों की पहचान हो सके।

4.3.2 एक सेवा प्रदाता द्वारा सेवा कर का पंजीकरण न करना और भुगतान न करना

दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 30/2012/एसटी में विनिर्दिष्ट है कि 1 जुलाई 2012 से, श्रमबल सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, यदि सेवा प्राप्तकर्ता एक कम्पनी या निगम निकाय है और सेवा प्रदाता एक गैर निगमित निकाय है, तो 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत सेवा कर देयता क्रमशः सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

हमने पाया कि कोचीन कमिश्नरी में मै. ओईएन इंडिया लिमिटेड द्वारा श्री बीनू पोलोस को ₹ 67.39 लाख के मजदूरी प्रभारों का भुगतान किया गया था। तथापि, श्री बीनू पोलोस, विभाग में पंजीकृत नहीं था और उसने वि व 11 से वि व 13 के लिए सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। हमने श्री बीनू पोलोस का गैर पंजीकरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा विभाग की कमीशनरी के डाटाबेस के साथ साथ एनएसडीएल साइट से सत्यापित किया।

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

यद्यपि मै. ओईएन इंडिया लि. की आन्तरिक लेखापरीक्षा दिसम्बर 2013 में की गई थी जिसमें मार्च 2013 तक की अवधि को कवर किया गया था, श्री बीनू पोलोस द्वारा गैर पंजीकरण और सेवा कर का भुगतान न करने के बारे में नहीं बताया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2015) कि ₹ 13.96 लाख की कुल राशि की मांग करते हुए दो एससीएन जारी किए गए थे (अक्टूबर 2014)।

मंत्रालय का उत्तर इस चूक को इंगित करने में आन्तरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) की विफलता पर मौन था।

4.4 विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा

रैंजों में एसटी-3 विवरणियों की जांच के दौरान, हमने ऐसे मामले पाए जहां विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा के कारण कर के भुगतान की देयता, या कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज पर प्राधिकारियों का ध्यान नहीं गया। हमने इस बारे में मंत्रालय का ध्यान 11 ड्राफ्ट पैराग्राफों के माध्यम से दिलाया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति और 10 मामलों में विभाग की विफलता को स्वीकार किया जिन्हें परिशिष्ट-III में बताया गया है और दो मामलों को नीचे दिया गया है।

4.4.1 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 में प्रावधान किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कोई कर योग्य सेवा प्रदान कर रहा है को निर्धारित दर पर सेवा कर का भुगतान करेगा। सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6 में अनुबंध किया जाता है कि सेवा कर का भुगतान महीने की 6ठे दिन तक केन्द्र सरकार के पास जमा किया जाएगा। यदि शुल्क इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से या किसी दूसरे मामले में कैलेंडर महीने, जिस में भुगतान प्राप्त किया गया है के तुरन्त बाद महीने के 5वें दिन जमा किया जाता है। यदि निर्धारित कर जमा करने या उसके किसी भाग को निर्धारित अवधि के अनदर केन्द्र सरकार के खाते में जमा करने में विफल रहता है तो वह वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के तहत निर्धारित दरों पर सामान्य ब्याज का भुगतान करेगा।

मुम्बई IV कमिश्नरी में मै. एसीई पाइपलाइन कोन्ट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के रिकार्डों की विस्तृत संवीक्षा से पता चला (दिसम्बर 2014) कि वि व 13 और वि व 14 के दौरान, निर्धारिती ने विलम्ब से ₹4.74 करोड के सेवा कर का भुगतान किया था, जिस पर उद्ग्राह्य कुल ब्याज ₹43.12 लाख निकाला गया था। तथापि, निर्धारिती ने केवल ₹9.29 लाख के ब्याज का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹33.83 लाख की राशि के ब्याज का कम भुगतान हुआ। इस विसंगति के बारे में विभाग द्वारा नहीं बताया गया क्योंकि अनुबद्ध समय सीमा में प्राथमिक संवीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2015) कि निर्धारिती ने वसूली योग्य ब्याज का भुगतान कर दिया था और चूंकि निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणियां देय तिथि के बाद फाइल की थी (अर्थात् अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011 के लिए 29 मार्च 2012 को) इसलिए विवरणियों के अभाव में, संवीक्षा समय पर नहीं की जा सकी।

मंत्रालय का उत्तर जो वि व 12 के लिए था, लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अवधि (अर्थात् वि व 13 और वि व 14) के लिए प्रासंगिक नहीं था और इसलिए स्वीकार्य नहीं है।

4.4.2 सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के लिए नियमपुस्तिका, 2009 के पैरा 1.2 बी में प्रावधान है कि सभी एसटी-3 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा की जानी चाहिए ताकि अन्य बातों के साथ साथ सेवा कर का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। सेवा कर नियमावली 1994, के नियम 6 में सेवा कर का भुगतान तुरन्त उस कैलेंडर महीने के बाद, जिसमें सेवा प्रदान की गई मानी गई है उस महीने की 5/6 को या से पूर्व करना निर्धारित किया गया है।

बेलगाम कमिश्नरी में बेल्लारी रेंज की लेखापरीक्षा के दौरान एसटी-3 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा से पता चला कि मै. होथूर इंडस्ट्रीज लि. बेल्लारी ने मई 2011 से अगस्त 2011 की अवधि के लिए एसटी-3 विवरणियों में घोषित सेवा कर और उप कर के ₹9.12 लाख का भुगतान नहीं किया। क्योंकि रेंज अधिकारी ने विवरणियों की प्राथमिक जांच नहीं की थी, विभाग भुगतान न होने के बारे में पता नहीं लगा सका।

जब हमने इसके बारे में बताया (जनवरी 2013), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2016) तथा ब्याज सहित ₹ 16.66 लाख की कुल वसूली बताई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि संबंधित रेंज अधिकारी को इस चूक के बारे में चेतावनी दी गई है।

4.5 निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग द्वारा अपनाई गई अनुपालन सत्यापन प्रणाली तीन महत्वपूर्ण भागों विवरणी की संवीक्षा, लेखापरीक्षा तथा अपवंचन रोधी से बनी हैं। लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुपालन सत्यापन जोखिम मानदंडों के आधार पर निर्धारिती यूनिटों के चयन सहित निर्धारित प्रक्रियाएं अपनाने के द्वारा निर्धारिती परिसरों में लेखापरीक्षा करना और निर्धारित नियमों तथा विनियमों के अनुपालन का स्तर अभिनिश्चित करने के लिए निर्धारिती के अभिलेखों की संवीक्षा करनी होती है। प्रत्येक कमिश्नरी अपने आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग में अन्दर सहायक/उप कमिश्नर तथा लेखापरीक्षकों से युक्त और अपर/संयुक्त कमिश्नर की अध्यक्षता एक लेखापरीक्षा सेल होता है। लेखापरीक्षा सेल योजना, मॉनीटरिंग तथा की गई लेखापरीक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए उत्तर दायी है। अधीक्षकों तथा निरीक्षकों से बने लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा योजना के अनुसार और सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका 2011 के अनुसार निर्धारिती परिसरों में लेखापरीक्षा करते हैं।

हमने निर्धारितियों की कवरेज की पर्याप्तता तथा निम्नलिखित दो श्रेणियां (क) आईएजी दल द्वारा पहले ही लेखापरीक्षित और (ख) लेखापरीक्षा के लिए देय परन्तु हमारी लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा के समय पर आईएजी द्वारा कवर न किए गए में से एक के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों की नमूना लेखापरीक्षण द्वारा आईएजी द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास किया। हमने निर्धारितियों द्वारा सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति अथवा कर/ब्याज का भुगतान करने/कम करने के बहुत से मामले देखे। हमने 51 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को ये आपत्तियां सूचित की। मंत्रालय/विभाग ने 39 मामलों (परिशिष्ट III) में लेखापरीक्षा आपत्ति तथा विभाग की विफलता स्वीकार की। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियों का नीचे वर्णन किया गया है।

4.5.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही कवर किये गए चयनित निर्धारिती परिसरों में अभिलेखों की जांच

आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही शामिल चयनित निर्धारिती परिसरों में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने कुछ दृष्टान्त देखे जहाँ कमिश्नरी की लेखापरीक्षा पार्टियों से निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामले उल्लेख करने से छूट गए थे।

4.5.1.1 एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित न किये गए पाठ्यक्रमों पर सेवा कर का भुगतान न करना

किसी समय पर लागू किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने वाले किसी कोचिंग अथवा प्रशिक्षण को उद्ग्रहणीय सभी सेवा कर से छूट दी गई थी क्योंकि यह सेवा नकारात्मक सूची में है। इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ने परिपत्र सं. 107/1/2009-एस.टी., दिनांक 28 जनवरी 2009 द्वारा यह निर्धारित किया है कि वर्ष 2005 से, एक तकनीकी संस्थान अथवा प्रतिष्ठान (जिसे अन्यथा एक विश्व विद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है) जिसके पास एआईसीटीई (तकनीकी शिक्षा हेतु अखिल भारतीय परिषद) का अनुमोदन नहीं है, उसे किसी समय पर लागू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र अथवा डिग्री अथवा कोई शैक्षणिक योग्यता जारी करने वाला नहीं कहा जा सकता और अतः यह सेवा कर की परिधि में हैं। तथापि, एक 'डीम्ड विश्वविद्यालय' को इस शर्त से छूट दी गई थी।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में मै. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), अहमदाबाद ने स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), पीजीपी-एबीएम, पीजीपी-X तथा फैलोशिप कार्यक्रम तथा एमडीपी के रूप में कहे जाने वाले लघु अवधि पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों से वसूली गई पाठ्यक्रम फीस पर 30 अप्रैल 2011 तक सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। इसने वाणिज्यिक प्रशिक्षण तथा कोचिंग के अंतर्गत 1 मई 2011 से केवल एमडीपीज से प्राप्त आय पर सेवा कर भुगतान करना शुरू किया तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रमों जैसे पीजीपीज, पीजीपी-एबीएम, पीजीपी-एक्स तथा फैलोशिप कार्यक्रमों पर छूट का लाभ लेना जारी रखा। तथापि, हमने देखा कि इन पाठ्यक्रमों को न तो किसी

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

लागू कानून द्वारा अनुमोदित किया गया एवं न ही इसके पास एआईसीटीई का अनुमोदन था। आईआईएम एक पंजीकृत सोसाइटी है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 'डीम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा भी नहीं दिया गया है। अतः उपरोक्त अवधि के दौरान संस्थान द्वारा सेवा कर के भुगतान से प्राप्त की गई छूट सही नहीं है। निर्धारिती ने वि व 10 से वि व 14 के बीच संचालित विभिन्न दीर्घावधि पाठ्यक्रमों पर ₹ 338.63 करोड़ की कुल राशि प्राप्त की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.21 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जिसकी ब्याज के साथ वसूली की जानी अपेक्षित है।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया (दिसम्बर 2015) कि निर्धारिती को ₹ 41.94 करोड़ के लिए कारण बताओ ज्ञापन (एससीएन) जारी किया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि आईएपी के उन अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है जिन्होंने लेखापरीक्षा की थी।

4.5.1.2 सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 के अनुसार, आऊटपुट सेवा का प्रदाता यहाँ निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज के आधार पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करेगा तथा इनपुट सेवाओं की प्राप्ति व खपत के लिए उपयुक्त अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

त्रिची कमिश्नरी में मै. लक्ष्मी विकास बैंक लिमि., करूर बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत एक पंजीकृत सेवा कर दाता था। लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि वि व 08 से वि व 11 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 7.71 करोड़ राशि के सेनवेट क्रेडिट पर निर्धारिती ने उपयुक्त अभिलेख यथा: मासिक आदि शेष, प्राप्तियां, उपयोग तथा अन्तःशेष अनुरक्षित नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2009 से मार्च 2010 के दौरान मूल दस्तावेजों के स्थान पर शाखाओं से प्राप्त विवरणों के आधार पर प्राप्त किये गए ₹ 32.66 लाख राशि के क्रेडिट के औचित्य का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने यह बताया (मार्च 2012) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (अक्टूबर 2015) स्वीकार की तथा बताया कि अक्टूबर 2006 से सितम्बर

2011 तक की अवधि के लिए ₹ 6.02 करोड़ की मांग करते हुए जारी किये गए एससीएन का बराबर शास्ति तथा लागू होने योग्य ब्याज के सहित मांग की पुष्टि करते हुए निर्णय हो गया था (अप्रैल 2013)। आईएपी की विफलता के लिए, मंत्रालय ने बताया कि निर्धारिती को अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद वह वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल हुआ था। अतः, यह निर्धारिती द्वारा तथ्यों को छिपाने का मामला है न कि आईएपी की विफलता का।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने निर्धारिती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा करते समय यही आपत्ति दर्शायी थी।

4.5.1.3 गलत वर्गीकरण तथा छूट के परिणामस्वरूप सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(39ए) में निर्माण, चालू करने अथवा प्रतिष्ठापन सेवा को प्रारंभ करने तथा प्रतिष्ठापन करने वाली एजेंसी द्वारा नलसाजी, नालियां बिछाने अथवा तरल के बहाव के लिए अन्य प्रतिष्ठापन अथवा इसी प्रकार की अन्य सेवाओं सहित किसी सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम (निर्माण कार्य संविदा) की धारा 65 (105) (जेडजेडजेडए) निर्धारित करती है कि माल में सम्पत्ति का अंतरण निर्माण कार्य संविदा के तहत सेवा के वर्गीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त है। सेवा कर का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के मामले में, अधिनियम की धारा 75 के अनुसार ब्याज देय है।

चेन्नै सेवा कर -।।। कमिशनरी⁴¹ में सितम्बर 2007 में, मै. टीमको हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड चेन्नै ने पाइपिंग कार्य के अंतर्गत पाइपों के निर्माण तथा गढ़ाई संरेखण, सहायक कार्य किया तथा मै. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दिए गए कार्य आदेश के अनुसार कुशल मजदूरों की आपूर्ति की। आदेश के अनुसार, सारा कच्चा माल जैसे पाइप, फिटिंग, संरचनात्मक सामग्री, उपकरण मै. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमि. के माध्यम से परियोजना के मालिक द्वारा 'निशुल्क जारी' आधार पर निर्धारिती

⁴¹ पहले चेन्नै -।।। कमिशनरी में

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

को उपलब्ध कराए गए थे। निर्धारिती ने सेवा को निर्माण कार्य संविदा सेवा के रूप में वर्गीकृत किया तथा निर्माण कार्य संविदा सेवाओं के अंतर्गत वैकल्पिक संयुक्त योजना पर दो प्रतिशत/चार प्रतिशत (1 अप्रैल 2008 से लागू) की दर पर सेवा कर दिया। तथापि, चूंकि वस्तुओं में सम्पत्ति का अंतरण शामिल नहीं था, इसलिए 'संरेखण', प्रारंभ करने तथा प्रतिष्ठापन सेवाओं' के अंतर्गत वर्गीकृत की जानी थी तथा सेवा कर सकल प्राप्तियों पर पूरी दरों (अर्थात् 10 प्रतिशत/12 प्रतिशत की दर पर) पर भुगतान किया जाना था। छूट के दावे तथा सेवा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 72.25 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो वि व 08 से वि व 10 की अवधि के दौरान लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने यह बताया (दिसम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) तथा बताया कि ₹ 1.09 करोड़ की मांग करते हुए जारी किए गए एससीएन पर बराबर शास्ति तथा लागू होने योग्य ब्याज के साथ मांग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णय किया गया था (अप्रैल 2013) तथा निर्धारिती ने ₹ 28.47 लाख की राशि का भुगतान किया। आईएपी की विफलता के लिए, मंत्रालय ने बताया कि आवधिक विवरणियों से कमी का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि निर्धारिती ने जानबूझ कर तथ्यों का छुपाया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि हमने निर्धारिती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा करते समय यही आपत्ति दर्शायी थी।

4.5.1.4 सेवा के आयात के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान न करना।

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2 (i) (डी)(iv) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ए निर्धारित करती है कि यदि सेवा प्रदाता भारत से बाहर स्थित है, तो भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने का उत्तर दायी है। सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर, अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ब्याज उद्ग्रहणीय है।

चेन्नै एलटीयू कमिशनरी में, मै. मोबिस इंडिया लिमिटेड ने 2010-11 तथा 2011-12 में भारत से बाहर स्थित एजेंटों को विभिन्न तिथियों पर भुगतान किए गए कमीशन के प्रति विदेशी मुद्रा में ₹ 3.32 करोड़ का व्यय वहन

किया। सेवा के आयात के प्रति भुगतान किए गए कमीशन पर, भारत में सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान योग्य सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (अप्रैल 2013) तो मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि 2010-2014 की अवधि के लिए ₹ 77.67 लाख के लिए एक एससीएन जारी किया गया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा की विफलता के लिए मंत्रालय ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा में गहन संवीक्षा हेतु चयन के रूप में वर्ष में केवल एक माह के साथ चयनित एवं नमूना आधार पर दस्तावेज लिए गए थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि करदाता ने आईएपी की जानकारी में आने से महत्वपूर्ण प्रबन्धन से संबंधित इन फोरेक्स भुगतानों का चतुराई से छलावरण किया और छिपाया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी आपत्ति तुलनपत्र की संवीक्षा पर आधारित थी तथा वि व 12 में ₹ 3.32 करोड़ जैसी बड़ी राशि का आईएपी द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए था। अतः कमी के लिए दिया गया उत्तर निर्धारिती परिसरों में अभिलेखों के सत्यापन के दौरान विस्तृत जांच हेतु मुद्दे की पहचान तथा पटल समीक्षा में कमी को दर्शाता है।

4.5.1.5 सेवा कर तथा उस पर ब्याज का भुगतान न करना

धारा 65(104सी) व्यापार सहायता सेवा के तहत आने वाली सेवाओं को सूची से बाहर रखता है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं के प्रावधान का स्थान सेवा नियमावली, 2012 के नियम 4(बी) के अनुसार एक सेवा के प्रावधान का स्थान वह स्थान होगा जहाँ सेवारं वास्तव में निष्पादित की गई हैं, यदि सेवारं एक व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई हैं, सेवा के प्रावधान के लिए प्रदाता के साथ जो या तो सेवा के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रस्तुत है, या प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य कर रहा व्यक्ति है, जिसे प्राप्तकर्ता की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है अथवा वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य कर रहा है, इसके अतिरिक्त, मध्यवर्ती सेवा के मामले में, उपरोक्त नियमावली के उप-नियम 9(सी) के अनुसार, सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा।

अहमदाबाद -सेवा कर कमिश्नरी में मै. बोश रेक्सरोथ (1) लिमि. ने 1 अप्रैल 2007 को अपनी सहायक कम्पनी बोश रेक्सरोथ एजी, जर्मनी (बीआरएजी) के

साथ एक सामान्य सेवा करार पर हस्ताक्षर किये। करार के तदनुसार, बीआरएजी से ग्लोबल अकाउन्ट्स मैनेजर (जीएएम) कहलाने वाले 3-4 सदस्यों का एक दल निर्धारिती के सानन्द संयंत्र पर रहेगा तथा देश में (भारत) सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण तथा समन्वय करेगा तथा इसके लिए बीआरएजी त्रैमासिक आधार पर दोनों पक्षों द्वारा सहमत राशि वीआरआईएन को भुगतान करेगा। वि व 10 से वि व 14 के दौरान, मै. बोश रेक्सरोथ (I) लिमिटेड ने ऐसी सेवाओं के लिए बोश रेक्सरोथ एजी से ₹ 2.56 करोड़ प्राप्त किये परन्तु निर्धारिती ने सेवा आय को सेवा के निर्यात के रूप में मानते हुए इस पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया। चूंकि जीएएम दल के सदस्यों ने भारत कर योग्य के क्षेत्र (सानन्द, अहमदाबाद) से सेवाएं उपलब्ध कराई थी, इसलिए ऊपर दर्शाये गए प्रावधानों के अनुसार, ऐसी सेवाओं को सेवा का निर्यात नहीं माना जा सकता तथा निर्धारिती कम्पनी जिसने सेवा के लिए भुगतान प्राप्त किया था, ₹ 26.72 लाख के सेवा कर तथा विलम्बित भुगतान के लिए ₹ 18.74 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

जब हमने यह बताया (फरवरी 2015), तो मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2015) कि निर्धारिती ने ₹ 5.85 लाख की शास्ति के अलावा ₹ 26.72 लाख के सेवा कर तथा ₹ 18.74 लाख के ब्याज का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने यह भी बताया कि आईएपी ने भी समान राशि के लिए यही मुद्दा उठाया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कमिश्नरी का उत्तर तथा चालान की प्रति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भुगतान हमारी लेखापरीक्षा के कारण किया गया था।

4.5.1.6 निर्माण सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एल) के अनुसार, 1 जुलाई 2012 से, इनपुट सेवाओं में वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (105) के उप-खण्ड (जेडजेडक्यू) में निर्दिष्ट वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवाओं को अन्य सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है, जब तक वे विनिर्दिष्ट सेवाओं के एक अथवा अधिक के प्रावधान के लिए होने को छोड़कर एक भवन अथवा एक सिविल संरचना या एक भाग के निर्माण के लिए प्रयुक्त हुई हों।'

इसके अतिरिक्त, बोर्ड परिपत्र सं.98/1/2008-एस.टी., दिनांक 4 जनवरी, 2008 के द्वारा बताया है कि सेवा कर का इनपुट क्रेडिट केवल तभी लिया जा सकता है यदि आऊटपुट सेवा कर के लिए दायी 'सेवा' है अथवा 'वस्तुएं' उत्पाद शुल्क के लिए दायी हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ने वि व 10 से वि व 14 की अवधि के दौरान अपने परिसरों में स्थित सिविल संरचनाओं के लिए सिविल निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण पर ₹ 32.63 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। जैसा कि वित्त अधिनियम, 1994 के खण्ड (105)(जेडजेडक्यू) में परिभाषित किया गया है, ऊपर उद्धरित प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती को ऐसी इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए, यह स्वयं ही इनपुट सेवाओं की परिभाषा से निष्कासन के कारण स्वीकार्य नहीं था। अतः निर्धारिती ने गलत तरीके से ₹ 28.42 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। आईएपी द्वारा आपत्ति की गई राशि घटाने के पश्चात सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति निकाली गई थी।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि ₹ 28.42 लाख के लिए एससीएन जारी किया गया था (अक्टूबर 2014)। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया कि आईएपी पहले ही विव 13 के लिए निर्माण सेवाओं पर ₹ 4.21 लाख के सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति बता चुकी थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जारी किया गया एससीएन स्पष्ट रूप से हमारी आपत्ति से संदर्भित था तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा पैरा ₹ 4.21 लाख के इनपुट सेवा क्रेडिट वाले अक्टूबर 2012 के केवल एक आरए बिल से संबंधित था तथा सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति के अन्य उदाहरण हमारे द्वारा दर्शाये जाने तक अलक्षित पड़े रहे थे।

4.5.1.7 सेवा कर भुगतान न करना

एक कम्पनी को उक्त कम्पनी के एक निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 30/2015 के साथ पठित दिनांक 7 अगस्त, 2012 की

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

अधिसूचना सं. 45/2012-सेवा कर के अनुसार सेवा कर देयता सेवा प्राप्तकर्ता पर निर्धारित की गई थी।

हमने वि व 2012 से वि व 2014 की अवधि के लिए जयपुर -II कमिश्नरी की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में अनुरक्षित निर्धारितियों की मास्टर फाइलों की संवीक्षा की। हमने देखा कि मै. बीएमडी प्रा. लिमि. तथा मै. मेवाड़ टेक्नोकास प्रा. लिमि. ने अपने निदेशकों को ₹ 70 लाख का पारिश्रमिक, फीस तथा कमीशन भुगतान किया था परन्तु उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उस पर देय ₹ 8.65 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। अतः वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 75 के अनुसार ब्याज के साथ निर्धारितियों से ₹ 8.65 लाख सेवा कर वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (मई 2014), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और बताया कि मै बीएमडी प्रा. लिमि. के ₹ 15.06 लाख और मै. मेवाड़ टेक्नोकास प्रा. लिमि. को ₹ 4.82 लाख की राशि का एससीएन जारी किया गया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा की विफलता पर मंत्रालय का उत्तर मौन था।

4.5.1.8 ब्याज का भुगतान न करना

गुन्दूर कमिश्नरी में मै. इनकैप लिमि. तथा हैदराबाद -II कमिश्नरी में मै. महा इलैक्ट्रानिक्स प्रा. लिमि. ने वि व 12 से वि व 14 के दौरान विलम्ब से सेवा कर का भुगतान किया। परन्तु उन्होंने देय पूरे ब्याज का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 12.64 लाख तथा ₹ 26.52 लाख की राशि के ब्याज का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर तथा दिसम्बर 2014) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की तथा बताया (सितम्बर-अक्टूबर 2015) कि निर्धारिती ने ब्याज का भुगतान कर दिया। मंत्रालय ने आगे बताया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा पहले ही इस मुद्दे को बता चुकी थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आईएपीज द्वारा बताए जाने के बाद भी, ब्याज की काफी राशि हमारे द्वारा बताए जाने के बाद ही वसूल की गई थी।

4.5.1.9 अन्य मामले

हमने देखा कि अन्य मामलों में⁴² निर्धारितियों द्वारा 1.11 करोड़ के राजस्व वाले सेवा कर के गैर भुगतान के दृष्टान्त देखे जिन्हें विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा नहीं दर्शाया गया था। कमिश्नरियों ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की थी। हमने इन सभी मामलों में मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी (जनवरी 2016)।

हमने देखा कि यद्यपि उपरोक्त सभी मामलों में कमिश्नरी की आईएपी द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी, तथापि हमारे द्वारा बताए जाने तक चूक का पता नहीं चल पाया था।

4.5.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा अनिवार्य इकाईयों की कवरेज के लिए प्रतिमानों सहित अपर्याप्त अनुपालना

सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका, 2011 का पैरा 5.1.2 परिकल्पित करता है कि एक वर्ष में ₹ 3 करोड़ अथवा अधिक (नकद + सेनवेट) के सेवा कर का भुगतान करने वाले सेवा प्रदाताओं की प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षा की जानी है। हमने निम्नलिखित दृष्टान्त देखे जहाँ इकाई की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी जबकि यह नियत थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा की गई चूकों का पता नहीं चला जब तक हमारे द्वारा बताया नहीं गया।

4.5.2.1 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 परिकल्पित करती है कि सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति भुगतान योग्य सेवा कर को सरकारी खाते में विलम्ब से भुगतान करने के मामले में, निर्धारित प्रतिशतता पर सामान्य ब्याज का भुगतान करेगा। दिनांक 1 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 14/2011-एसटी के अनुसार ब्याज की दर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

⁴² अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में आईआईएम अहमदाबाद, राँची कमिश्नरी में मै. ऊषा मार्टिन इन्डस्ट्रीज लिमि. तथा हैदराबाद-11 कमिश्नरी में मै. इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

बेंगलूर एसटी-1। कमिश्नरी में मै. डस्टर होटल साल्यूशन सर्विसेज प्रा. लिमि. के अभिलेखों की संवीदा से पता चला कि निर्धारिती ने अक्टूबर 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए 138 से 227 दिनों के विलम्ब के साथ सेवा कर का भुगतान किया था। तथापि, निर्धारिती ने ऐसे विलम्बित भुगतानों पर ₹ 1.78 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

जब हमने इसे बताया (जून 2013) तो मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि निर्धारिती को जारी किये गए एससीएन पर अक्टूबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के लिए ₹ 2.12 करोड़ की मांग की पुष्टि करते हुए निर्णय दिया गया था (जनवरी 2015) तथा निर्धारिती ने मांग के प्रति ₹ 86.52 लाख का भुगतान किया था (मई 2013 से फरवरी 2014)। मंत्रालय ने आगे बताया कि सेरा लेखापरीक्षा करने से पहले ही, अपवचन रोधी शाखा ने जनवरी 2013 के माह के दौरान निर्धारिती के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी तथा एससीएन दिनांक 30 सितम्बर 2013 जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि जारी किया गया एससीएन स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि यह हमारी आपत्तियों पर आधारित था तथा हमारी लेखापरीक्षा के बिना, सेवा कर देयता सामने नहीं आती। एससीएन में अपवचन -रोधी/विभागीय प्रयासों का कोई संदर्भ नहीं था।

4.6 अन्य मुद्दे

4.6.1 एससीएन जारी करने में असामान्य विलम्ब

सेवाओं का कराधान (भारत से बाहर से उपलब्ध कराई गई तथा भारत में प्राप्त की गई) नियमावली, 2006 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ए निर्धारित करती है कि भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई कर योग्य सेवाओं के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने का दायी था जो एक अनिवासी था अथवा भारत से बाहर से था तथा जिसका भारत में कार्यालय नहीं था।

बेंगलूर एलटीयू कमिश्नरी में मै. भारत अर्थ मूवर्स लिमि. ने वि व 2011 एवं वि व 2012 के दौरान भारत से बाहर से प्राप्त अन्य सेवाओं तथा कमीशन के

प्रति विदेशी मुद्रा में ₹ 8.19 करोड़ का व्यय वहन किया था। लेकिन निर्धारिती ने उस पर ₹ 84.41 लाख का सेवा कर और उपकर का भुगतान नहीं किया।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2013), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि वि व वर्ष 08 से वि व वर्ष 12 की अवधि के लिये भारत के बाहर से प्राप्त राशि पर ₹ 2.70 करोड़ के सेवा कर और उपकर की मांग करते हुये एससीएन जारी किया गया था (अप्रैल 2013)। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि विभाग ने निर्धारिती से वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि कवर करते हुये ₹ 5.95 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुये अतिरिक्त एससीएन (अप्रैल 2012) जारी किया और इसलिए, यह कहना सही नहीं था कि एससीएन तभी जारी किया गया जब हमने जनवरी 2013 में मामले की ओर ध्यान दिलाया। इसलिए, उनके अनुसार विभाग के कार्यवाही में कमी के बावत राजस्व की हानि के आरोप स्वीकार करने योग्य नहीं थे।

मंत्रालय के उत्तर से पता चला कि बेंगलुरु सेवा कर कमिश्नरी की ओर से अत्यंत विलंब हुआ था चूंकि भारत के बाहर से प्राप्त सेवा का मूल्य मांगने वाला पहला पत्र केवल नवंबर 2009 में जारी किया गया था, लेखापरीक्षा नोट जारी होने से 16 माह और लेखापरीक्षा समाप्त होने के 22 माह समाप्त होने के बाद। सेवा कर कमिश्नरी ने राजस्व को बचाने के लिये कोई भी ठोस कार्रवाई किये बिना दिसंबर 2011 तक ऐसे पत्र निरंतर जारी किये तथापि 2006-07 के लिए मांग का समय बाधित होने का जोखिम था। निर्धारिती को केवल मार्च 2012 में ही समन जारी किये गये थे। इस प्रकार एससीएन जारी करने में बेंगलुरु सेवा कर कमिश्नरी की ओर से लेखापरीक्षा पूर्ण होने से 50 माह और लेखापरीक्षा नोट जारी होने से 44 माह तक विलंब हुआ था। इस विलंब से मांग के अधिनिर्णय को समय बाधित घोषित करने का जोखिम है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को कमिश्नरी में आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारणों को पहचानना आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप ओवरलैपिंग अवधि में एक ही मुद्दे पर दो एससीएन जारी हुये।

4.6.2 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 (4 ए) के अंतर्गत जुर्माना लगाना

8 अप्रैल 2011, से प्रभावी वित्त अधिनियम 1944 की धारा 73 (4 ए) के अनुसार, जहां किसी भी लेखापरीक्षा जांच या पुष्टि के दौरान, यह पाया गया की कोई भी सेवा कर की उगाही या भुगतान या कम उगाही की गई है या कम भुगतान किया गया है लेकिन निर्धारित अभिलेखों में लेनदेन का सही और पूर्ण विवरण उपलब्ध है, सेवा कर प्रभार योग्य व्यक्ति सेवा कर का भुगतान पूर्व या आंशिक रूप से कर सकता है, चूंकि वो, उसे नोटिस जारी करने से पूर्व कर राशि के आधिकतम 25 प्रतिशत तक, उस अवधि में जब चूक जारी थी, के लिए प्रत्येक माह के लिये ऐसे कर के एक प्रतिशत के बराबर देय ब्याज और जुर्माने सहित प्रभार योग्य कर की राशि स्वीकार कर सकता है।

कालीकट कमिश्नरी की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने धारा 73(4ए) के अनुसार बिना जुर्माना लगाये अप्रैल 2011 के बाद उठाने गई लेखापरीक्षा आपत्तियों को उजागर नहीं किया, तब, जब निर्धारिती ने पैरा में बताये गये सेवा कर की राशि का भुगतान किया। 25 निर्धारिती इकाइयों के संबंध में जुर्माने का भुगतान न होने के कारण नमूना जांच की राशि ₹ 31.64 लाख थी। जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (मार्च 2013), मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि लेखापरीक्षा में बताये गये 25 मामलों में से, 15 निर्धारितियों ने ₹ 12.76 लाख के जुर्माने का भुगतान किया । मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2011 को डाली गई धारा 73(4ए) के अंतर्गत जुर्माना लगाने का विरोध किया, इस प्रावधान के अंतर्गत बताते हुये कि जुर्माना उन मामलों में वसूली योग्य था जहां जानबूझकर कर अपवंचन हुआ था, वह भी इस तिथि के बाद शुरू मामलों पर। उन्होंने कहा कि यही दिनांक 28 फरवरी, 2011 के सीबीईसी बजट पत्र डीओएफ संख्या 33/3/2011-टीआरयू के पैरा 4.11 में भी कहा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अप्रैल 2011 में संशोधित अधिनियम धोखाधड़ी, अवरोध आदि या अन्यथा, फरवरी 2011 के पत्र की विषय-वस्तु पर ध्यान दिये बिना सभी मामलों पर लागू था, मई 2012 में संशोधन के बाद ही धारा

केवल जानबूझकर किये गये अपवंचन के मामले में लागू की गई थी। इस प्रकार धारा 73(4ए) के अंतर्गत जुर्माना लगाना जैसा कि हमने बताया है उचित है।



(हिमबिन्दु मुंडुंबै)

प्रधान निदेशक (सेवा कर)

नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2016

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक


नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2016

परिशिष्ट

परिशिष्ट।

केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट



परिशिष्ट ॥
(संदर्भ पैराग्राफ 3.1)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
1.	39ए	सेवा कर की गैर अदायगी	77.40	77.40		मुंबई एसटी ॥
2.	38ए	सेवा कर की गैर अदायगी	28.62	28.62		मुंबई एसटी ॥
3.	1ए	सेवा कर की गैर अदायगी	2.52	2.52		आनंद
4.	9बी	सेवा कर की गैर अदायगी	2.49	2.49		चेन्नै III
5.	22बी	सेवा कर की गैर अदायगी	2.03	2.03	2.03	पुणे ॥
6.	27ए	सेवा कर की गैर अदायगी	1.90	1.90	0.17	चंडीगढ़ ।
7.	20बी	सेवा कर की गैर अदायगी	1.66	1.66	1.66	रायगढ़
8.	13ए	सेवा कर की गैर अदायगी	1.63	1.63	0.04	पटना
9.	14बी	सेवा कर की गैर अदायगी	1.55	1.55	1.55	नासिक
10.	25ए	सेवा कर की गैर अदायगी	1.22	1.22		राउरकेला
11.	42बी	सेवा कर की गैर अदायगी	1.00	1.00	1.00	चंडीगढ़ ।

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
12.	44ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.92	0.92	0.92	मुंबई एसटी VI
13.	37ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.82	0.82		लखनऊ
14.	18बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.78	0.78		पटना
15.	19ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.70	0.70	0.68	पुणे एसटी I
16.	43ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.70	0.70		कोल्हापुर
17.	34डी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.66	0.66	0.39	इलाहबाद
18.	42डी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.65	0.65		पुणे I
19.	20डी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.56	0.56	0.56	हल्दिया
20.	26ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.50	0.50		आनंद
21.	31बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.47	0.47	0.47	हैदराबाद II
22.	39बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.34	0.34	0.04	वडोदरा I
23.	48बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.31	0.31	0.31	चंडीगढ़ I

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
24.	10ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.30	0.18		दिल्ली एसटी IV
25.	32ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.27	0.27	0.23	बेंगलुरु एसटी II
26.	2ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.25	0.25		वडोदरा
27.	8बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.18	0.19	0.19	रोहतक
28.	36बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.18	0.18	0.18	आगरा
29.	8ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.16	0.16		चेन्नै III
30.	12बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.16	0.16	0.16	हैदराबाद IV
31.	7ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.15	0.15		चेन्नै एसटी II
32.	9ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.14	0.14	0.14	चेन्नै III
33.	19बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.14	0.14	0.14	मुंबई एलटीयू
34.	40बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.13	0.13	0.13	वडोदरा I
35.	2बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.12	0.12	0.12	अहमदाबाद III

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
36.	6बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.12	0.12	0.12	अहमदाबाद एसटी
37.	44बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.12	0.12	0.12	मुंबई एसटी VII
38.	4बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.11	0.11	0.11	अहमदाबाद ।
39.	13बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.11	0.11	0.11	हैदराबाद ॥
40.	3ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.10	0.10		अहमदाबाद ।
41.	16ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.10	0.10	0.04	लखनऊ
42.	3बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.10	0.10	0.10	अहमदाबाद एसटी
43.	18ए	सेवा कर का कम भुगतान	1.15	1.15	0.40	हैदराबाद ॥
44.	45बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.91	0.91	0.91	हैदराबाद एसटी
45.	41बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.71	0.71		बैंगलुरु एसटी ॥
46.	35ए	सेवा कर का कम भुगतान	0.58	0.58	0.58	मुंबई एसटी ।
47.	12ए	सेवा कर का कम भुगतान	0.38	0.38	0.38	हैदराबाद एसटी ॥
48.	32बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.35	0.35	0.35	चेन्नै एसटी III

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
49.	33बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.33	0.33	0.33	हैदराबाद ॥
50.	46बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.25	0.25		सलेम
51.	47बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.24	0.24	0.24	बेंगलुरु एलटीयू
52.	40डी	सेवा कर का कम भुगतान	0.23	0.23	0.23	डिब्रूगढ़
53.	11ए	सेवा कर का कम भुगतान	0.20	0.20	0.18	हैदराबाद ॥
54.	28ए	सेवा कर का कम भुगतान	0.18	0.18	0.18	चंडीगढ़।
55.	49बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.15	0.15	0.13	पुणे॥॥
56.	38डी	सेवा कर का कम भुगतान	0.15	0.15	0.15	पुणे एसटी ॥
57.	33ए	सेवा कर का कम भुगतान	0.14	0.14	0.10	मुंबई एसटी V
58.	5ए	सेवा कर का कम भुगतान	0.13	0.13	0.09	उदयपुर
59.	11बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.11	0.11	0.11	त्रिर्वेन्द्रम
60.	10बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.10	0.10	0.10	चेन्नै एसटी ॥
61.	43बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.10	0.10	0.10	चेन्नै ॥॥
62.	17ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	3.03	3.03		धनबाद

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
63.	24ए और 41ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	1.45	1.45		मुंबई एसटी ॥
64.	31ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.91	0.91		थाणे ॥
65.	26बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.88	0.88	0.88	मुंबई सीएक्स ॥
66.	37बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.40	0.40		कोयंबटूर
67.	16बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.39	0.39	0.39	मुंबई एसटी ॥ ॥
68.	34बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.36	0.36		रायगढ़
69.	22ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.35	0.35	0.35	मुंबई एसटी ॥
70.	29ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.32	0.32	0.32	दिल्ली एसटी ॥
71.	20ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.27	0.27	0.27	थाणे ॥
72.	15ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.23	0.23	0.23	मुंबई एसटी VI

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
73.	27बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.23	0.23	0.23	औरंगाबाद
74.	23ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.20	0.20		मुंबई एसटीयू
75.	30ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.17	0.17	0.17	दिल्ली एसटी III
76.	24बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.15	0.15	0.15	बिलासपुर
77.	35बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.15	0.15	0.06	बेलापुर
78.	38बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.14	0.14	0.14	दिल्ली एसटी II
79.	1बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.12	0.12	0.12	अहमदाबाद I
80.	15बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.12	0.12	0.07	कोहलपुर
81.	25बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.12	0.12		मुंबई एसटी VII
82.	36ए	ब्याज की गैर अदायगी	3.16	3.16	3.16	मुंबई एसटी I

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
83.	32डी	ब्याज की गैर अदायगी	0.29	0.29	0.29	धनबाद
84.	7बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.27	0.27	0.27	चंडीगढ़ I
85.	30बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.17	0.17	0.17	बेंगलुरु एसटी II
86.	35डी	ब्याज की गैर अदायगी	0.14	0.14	0.14	जमशेदपुर
87.	21बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.13	0.13	0.13	मुंबई एसटी III
88.	28बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.13	0.13	0.13	मुंबई एसटी V
89.	14ए	ब्याज की गैर अदायगी	0.11	0.11	0.11	मुंबई एसटी I
90.	5बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.10	0.10	0.10	अहमदाबाद एसटी
91.	29बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.10	0.10	0.10	औरंगाबाद
92.	42ए	ब्याज की गैर अदायगी	0.10	0.10	0.10	दिल्ली एसटी III
93.	17बी	कर योग्य आय को प्रकट न करना	0.27	0.27	0.27	मुंबई एसटी VI
94.	4ए	विलंब शुल्क और जुर्माने की गैर-उगाही	0.17	0.17	0.06	उदयपुर

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
95.		छोटे मुद्रा मूल्य प्रेक्षण जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था और संशोधनात्मक कार्रवाही की गई थी लेकिन मसौदा लेखापरीक्षक पैराग्राफ में परिवर्तित नहीं किया गया था ।	8.76	8.76	8.52	
		जोड़	162.65	162.54	33.20	

परिशिष्ट III

(संदर्भ: पैराग्राफ 4.2)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
1.	62डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.34	0.34	0.34	कालीकट
2.	29डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.89	0.89		हैदराबाद II
3.	7डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.21	0.21	0.10	जोधपुर
4.	67डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.17	0.17	0.17	बेलगांव
5.	54डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.16	0.16	0.03	बिलासपुर
6.	41डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.42	0.42	0.42	पुणे II
7.	53डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.25	0.25	0.25	इंदौर
8.	14डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.22	0.22	0.22	लुधियाना
9.	39डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.22	0.22	0.22	कोलकाता एसटी
10.	61डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.15	0.15	0.05	कोचिन
11.	4डी	रिटर्न की समीक्षा में विफलता	0.14	0.14	0.14	अहमदाबाद एसटी

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
12.	63डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	28.00	28.00		त्रिवेन्द्रम
13.	78डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	9.80	9.80		भुवनेश्वर ।
14.	65डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	7.63	7.63		दिल्ली एसटी ॥
15.	25डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	6.18	6.18		दिल्ली एसटी ॥
16.	72डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	5.29	5.29		दिल्ली एसटी IV
17.	23डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	4.01	4.01		दिल्ली एसटी
18.	26डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	3.63	3.63	2.08	दिल्ली एसटी ॥
19.	21डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	2.68	2.68	0.02	कोलकाता एसटी
20.	52डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	2.18	2.18	2.18	हैदराबाद एसटी
21.	11डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	1.17	1.17		बैंगलुरु एसटी ॥
22.	28डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	1.14	1.14		दिल्ली एसटी ॥
23.	70डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.69	0.69	0.58	दिल्ली एसटी ॥
24.	27डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.58	0.58		दिल्ली एसटी ॥

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
25.	66डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.42	0.31	0.25	जयपुर
26.	1डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.41	0.41	0.41	अहमदाबाद एसटी
27.	22डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.41	0.41		कोलकाता ॥
28.	17डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.35	0.35		कोचिन
29.	76डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.31	0.31	0.31	बोलपुर
30.	77डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.29	0.29	0.29	कोलकाता एसटी ॥
31.	47डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.19	0.19	0.19	दिल्ली एसटी
32.	24डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.17	0.17	0.17	दिल्ली एसटी ॥
33.	46डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.14	0.14	0.14	दिल्ली एसटी ।
34.	59डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.12	0.12	0.12	दिल्ली एसटी ।
35.	48डी	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.10	0.10	0.10	दिल्ली एसटी ॥
36.	2डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	41.94	41.94		अहमदाबाद एसटी
37.	10डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	10.76	10.76		मैंगलौर

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
38.	81डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	4.87	4.87	4.87	हैदराबाद III
39.	31डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	2.66	2.66		मुंबई एसटी II
40.	64डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	2.40	2.40	2.40	दिल्ली एसटी
41.	45डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	2.18	2.18		कोयंबटूर
42.	50डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	1.08	1.08	1.08	दिल्ली एसटी III
43.	74डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	0.70	0.70		पटना
44.	6डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	0.36	0.36	0.36	उदयपुर
45.	79डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	0.17	0.17	0.17	मुंबई एसटी VII
46.	9डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	0.13	0.13		उदयपुर
47.	18डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	0.12	0.12		त्रिवेन्द्रम

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी का नाम
48.	49डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	0.11	0.11	0.11	दिल्ली एसटी III
49.	80डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	0.11	0.11	0.11	कोचिन
50.	5डी	आंतरिक लेखापरीक्षा ने चूक का पता नहीं लगाया	0.07	0.07	0.07	उदयपुर
		जोड़	146.72	146.61	17.95	

शब्दावली

एसीईएस	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
बीई	बजट आकलन
बोर्ड	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर बोर्ड (सीबीईसी)
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
सीएएटी	कम्प्युटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीक
सीबी	अंत शेष
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड
सेनवेट	केन्द्रीय मूल्य वद्धित कर
सेरा	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीईएसटीएटी	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीएक्स	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
डीएपी	मसौद लेखापरीक्षा पैराग्राफ
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीईआई	महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आसूचना)
डीजीएसटी	महानिदेशक, सेवा कर
डीजीआईसीसीई	महानिदेशक, निरीक्षण, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
डीओआर	राजस्व विभाग

ईए	उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आइएपी	आंतरिक लेखापरीक्षा दल
इन्टोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय संगठन
इन्टोसाई जीओवी	अच्छे शासन के लिए इन्टोसाई मार्गनिर्देश
आइटीआर	आयकर रिटर्न
एल एंड टी	लार्सन और टर्बो
एलटीयू	बडी करदाता यूनिट
मंत्रालय/विभाग	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
ओबी	आदि शेष
ओआईओ	वास्तव में क्रम
ओएनजीसी	ऑयल एंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन
पीडी	प्रधान निदेशक
पीएलए	व्यक्तिगत खाता लेखा
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आर एण्ड सी	समीक्षा तथा सुधार
आरए बिल	चल लेखा बिल
आरई	संधोधित अनुमान
एससीएन	कारण बताओ नोटिस

एसओएफ	तथ्य विवरण
एसटी	सेवा कर
टीडीएस	स्त्रोत में काटा गया कर
टीआरयू	कर अनुसंधान यूनिट
वीसीईएस	स्वैच्छक अनुपालन प्रोत्साहन योजना

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in